



### UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Utinistry of Human Resource Development

NET Bureau, University of Delhi, South Campus, Benito Juarez Marg, New Delhi-110021 Ph.: 011-24115419, Telefax: 011-24112276 email: ssingh.ugc@nic.in

IRF AWARD LETTER 1 0 FEB 2017

No. F.15-6(DEC, 2015)/2016(NET)

NARESH KUMAR S/O SHANKAR MANDAL C/O ANB SERVISES, KISAN BHAVAN, SHIVAJI NAGAR, NEW BYPASS, PATNA, PATNA, BIHAR +800020, India

Roll No.2 83023187

Subject: Physical Education

Denr Candidate.

You had applied in the UGC-NET held on 27th December, 2015 for Junior Research Fellowship in the OBC estegory. I am pleased to inform you that you have qualified by securing marks at par with qualifying cut-off for OBC estegory. The tenure of the fellowship is five years not it commerces from the date of declaration of NET result, i.e., 11th April, 2016 (or) from the date of Registration under M.Phil/Ph.D. (or) from the date of joining in M.Phil/Ph.D. programme, whichever is later. The summary of the financial assistance offered under the scheme is mentioned in Annexure 1 (all Annexures mentioned in this letter are available on www.appenc.in/netirf).

The Awardee is required to get admission and registration for regular and fall time M.Phil/Ph.D. course in a University/Institution/College recognized by the UGC at the first available opportunity but not later than two years from the date of issue of this award letter. The University/Institution/College is requested to process for the award of JRP based on this letter, in accordance with the procedure available on www.ugc.ac.in/nelpt/.

It may be noted that the followship amount shall be dishursed through Canam Bank to the bank account of the Awardee, (any bank) directly. The list of designated branches of Canara Bank is available on the UGC portal www.ngc.ac.in. The Awardee is required to approach the designated branch along with a copy of the Award letter, Joining Report, Annexure II and mi undertaking Annexure II (a). The Awardee is also required to submit the following documents to the designated branch of the Canara Bank at the stipulated period/interval:

- At the end of every three months a 'Continuation Certificate' in the prescribed proforma Annexure III. This will make
  the Awardee eligible to draw the fellowship for the next three months.
- 2. Half yearly Progress Report in the prescribed proforms Assexure IV along with the "Continuation Certificate".
- Details of the expenditure incurred out of the contingency grant to be submitted unually in the prescribed proforms.
   Annexure V.
- 4. The claim towards HRA is subject to the submission of HRA certificate in the prescribed proforms Annexure VI.
- 5 After the completion of two years of award of fellowship an 'Upgradation Certificate' needs to be submitted in the prescribed proforms Annexure VII along with Progress Report and Continuation Certificate.

It may also be noted that UGC has proposed to link "AADHAAR" with student's bank account number so that there can be direct each transfer and effective disbursal of fellowship into the bank account of the student. In this regard Secretary, UGC has already requested the universities to help the students in Aadhaar Enrolment vide his D.O. letter No. F.14-34/2011 (CPP-II) dated 11.01.2013.

It may please be noted that the award is liable to be cancelled and it will also attract legal action against the Awardee in the following cases:

i) If the Awardee is found to be ineligible to receive the award at any point of time during the entire duration of the fellowship. ii) Misconduct of Awardee, iii) Unsatisfactory progress of research work of the Awardee, iv) In case, any other fellowship is drawn from other source(s), v) Concealment of facts or on any other ground of misconduct.

In order to provide easy accessibility, all the details of the scheme, its requirements, all the prescribed proformac for submission of the documents along with the details of the designated branches of Canara Bank are available on the UGC portal www.uge.ac.in/netjef

The e-Certificate of eligibility for Assistant Professor has already been uploaded on www.ugenetonline.in. The category and eligibility of the confidiste is to be ensured by the institution/appointing authority.

Hyverder 18

(Surenter Singh)



चेषक

जिला विद्यालय निरीक्षक बिजनीर

सेवा में

आदर्श ग्रामीण इ० का० चन्दकः विजनीर।

/2017-18 दिनाक:- 16/09/201)

विषय - एतार प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा वयन बोर्ड निज्ञावली 1998 के अधीन प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्ष (वर्ग-1) के पर पर घयन बोड द्वारा चयानित अध्यर्थी को कार्यमार ग्रहण कराने के सबंघ में।

उपर्युक्त विषयक, सचिव, उत्तर प्रदेश मध्यमिक शिक्षा सेवा ययन बोर्ड इलाहाबाद के पत्राकः माठरि माजगीत / व्ययन-पंतल / 4068-4125 / 2017-18 दिसाक १७६३ 2617 के द्वारा विज्ञापन संख्या 01 / 2013 के प्रति विज्ञा प्रस्था मार्ग्या वर्णित थर्णित / १३६८ / २०१७ - १६ महेनाक ०८.५० २०१७ (६ग-०) सामान्य जाति। के द्वारा उत्तर प्रदेश महस्याम शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमायली 1998 व नियम (12) में नियम (8) तथा (10) के अधीन आपकी संस्था में प्रशिक्षि स्नातक शारीरिक शिक्षा (वर्ग-1) के रिक्त घट के प्रति चयनित अभ्यथी का पैनल प्राप्त कराया गया है। अतः आपव निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त नियमावनी के नियंग (13) के खण्ड (एक) (दी) (तीन) के अधीन यथा स्थि। अपेक्षित कार्यवाही करते हुए नियम (13) क अन्तमत इलिंग अध्याधी को नियमानुसार नियुक्ति पत्र पंजीकृत डाक निर्गत कर कार्यमार ग्रहण कराये। कार्यमार ग्रहण कराते समय अध्यक्षी के सभी शिक्षक योग्यता/अनुभव/स्वस्थता आर् प्रमाण-पत्र का भली भाँति परीक्षण कर लिए। जाये यदि कोई भिन्नता हो या सदिग्धता हो तब अपने स्तर से जार कराकर कार्यवाही करे। यह भी भली मोति अर्थ ३ की संस्था में जिस जाति श्रेणी में चयन हुआ है उसी जाति क अधियाचन प्रेषित किया गया है तथा पद रिक्त है। किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पद पर कार्यमार ग्रहण कराया जाये। यदि सरक्षा में पद के प्रति किसी मन्त्रतीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिसे गये है तब उनका पालन किय आयः। शिक्षा निर्देशक(मा०) उस्तर प्रदेश लखनाम = प्रांक सामान्य (१) शि०/9861-9935/2016-17 दिनांक 25 नवस्वर 2016 के अनुपालन में यह भी निर्देशित किया जातः है कि संयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के पश्चात उनके पेक्षिक प्रमाण-पन्नों का संख्यापन कराने के जगरान्त हैं। वेतन मुखतान की कार्यवाही की जाये। किसी भी विसंगति े 6m विकासमा सम्बद्धान उत्तरहाती होता।

The state of the s	आवदित संस्था का नाम	वयसित अन्यर्थी का नाम / पिता का नाम / पता	वतनकम/पदनाम /जाति/वर्ग
All Ballon		The state of the s	4
1/86	आर्चश ग्रामीण ई० का० धन्दक विजनीर	क्षी जितेन्द्र सिंह, पिता की काली प्रसाद सिंह 1/10-हाटका, पी0-धीनपुर, जिला- इनहाबाद-212811 अनुक्रमाक- 021601372	प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा सामान्य जाति, वर्ग–01
			भवदीय

(राजेश कुमार) जिला विद्यालय निरोसक

90 को = मां - चयन बोर्ड / Q134- 38 /2017-18 तददिनाक

विविधित - निम्नांकित की सेदा में स्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यकाही हेते पेषित ।

सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक जिला सवा सबम केंद्र इलाहाबाद को पन्न दिनाक 09.08.2017 11.08.2017 एवं वर्त वर्ष २०१७ के अनुपालन में।

मण्डातीय संवक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मण्डल मण्डलाह ।

के प्राथमित संस्था (१६०) (१९६८) विकास (१९९८) है जिल्ला विकासी । विकास व प्रयानक के समक्ष संपरिधात होकर विकासम्पर्धार के प्राप्त सहण करना सुनिधितत करें ।

> जिला विद्यालये निरीक्षक विज्ञामीए है

Taglasst on Extr. - SEV (Sargar Vallatintina: Patel) - (97500) Cirectorate of Education, Debt (Govs. of NET of Delhi) Jaming Order

WE WANT THE STRUCTURE TO SETTE CODE TIEVIS PROTEST F-1/948-955

MANGRANIAN KUMAR -2018/2013 has joined at Tuglakabad Extn.-58V (Sardar Vallabhbhai Pates) | 1779/07/ PET in 29/08/2018

Enduraement No.: FND A/E TV/RELT PET/F CDDE 210/14//2019FT F-1/944-955

T AND CLES other Acquirts Branch TIPAD Customed Appropria Concerned

CAN'S To Dr. the of Association.

Principal SVBP SBV Extr. 10 Dem 19

teams

Principal SVBP SBV Tkd Extn. N. Deihi 19 School ID 1925007 Web site: www.kvsangathan.nic.in Web site: www.kvsropatna.org E-mail address: kvsropatnaitvahoo.com sto so Sto starts ege from aft status form, som more \*\* 7070693670 (DC), 7070093671 (AC) 2344536(Pax); 2361860(Res) 0512- 2361701 (AO) [Ministry of HRD, Deptt. of School Education & Literacy, Govt. of India]

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय लोडियानगर, कंकडमाग पटना - 800 020



REGIONAL OFFICE

P.O.: Lohia Nagar, Kankarbagh Patna – 800 020 (Bihar)

No.F.28053/PRT/2017-KVS PR(Admn)

904-05

Dated: 06.10.2017

REGISTERED/ SPEED POST

### MEMORANDUM

### SUB: - OFFER OF APPOINTMENT TO THE POST OF TRAINED GRADUATE TEACHER

With reference to his/her application for the above post, Sh./Smt./Km. MUKESH KUMAR MISHRA, is hereby informed that he/she has been selected for appointment against a temporary post of TGT (P & HE) in the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the pay matrix (in the entry cell no. 1) LEVEL 7 (SEVEN) (7<sup>th</sup> CPC) corresponding grade pay of Rs. 4600/-(6<sup>th</sup> CPC) and posted at the Kendriya Vidyalaya RAU PUSA in PATNA Region under EAST zone. He/she will draw allowances and other benefits in addition to pay at rates as admissible to the Kendriya Vidyalaya Sangathan employees. This offer of appointment is subject to the candidate being declared fit for the post of TGT (P & HE) by a Civil Surgeon.

- 2. If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of the appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks standing or more as a result of medical test at the time of acceptance of appointment, it will be open to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she so desires. Furthermore, the affected woman candidate, in such a situation, who expresses her willingness to join, may be asked to produce a certificate of fitness from CMO of Govt. Hospital that she is fit to carry out the assigned work in her present state.
- No TA/DA will be admissible for first joining the Sangathan as <u>TGT (P & HE)</u>.
- He/she will be on probation for a period of 02 years which may be extended. Upon successful completion of probation, he/she will be confirmed as per the Kendriya Vidyalaya Sangathan rules.
- 5. During the probation and thereafter, until he/she is confirmed, the services of the appointee are terminable by one month notice on either side without any reason being assigned, thereof. The appointing authority, however, reserves the right to terminate the services of the appointee before expiry of the stipulated period of notice by making payment of sum equivalent to the pay & allowances for the period of notice of the unexpired portion thereof.
- 6. Other terms and conditions of service governing the appointment are as laid down in the Education Code for Kendriya Vidyalayas amended from time to time. A Welfare Scheme namely Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees Welfare Scheme has been introduced from 01.4.2002. Joining the above scheme is compulsory.
- He/she will be eligible for the new Restructured Defined Contribution Pension Scheme only as circulated by KVS (HQ) vide circular No.2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 08/12.03.2004 and F. 2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 24.12.2004.
- 8. The appointment is provisional and is subject to the certificate(s) of Scheduled Caste/Scheduled Tribe etc. Other Backward Classes/Physically Handicapped/ Blind being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claim to SC/ ST/ OBC/PH/Blind as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.

- 9. He/ she will fill up the character and antecedents verification form along with recent photograph and will handover the same to the Principal concerned.
- 10. In case of any dispute or claim against the Kendriya Vidyalaya Sangathan, in respect of service or any contract arising out of or flowing from this offer of appointment, the Courts of Delhi alone shall have jurisdiction.
- 11. The NCTE has clarified that "candidates having professional qualification of B.Ed. were eligible for appointment as teacher to teach classes from I to V upto 01.01.2012 only provided they undergo, after appointment, an NCTE recognized 6 months special programme in elementary education".
- 12. If he/she accepts the offer on the terms and conditions stipulated above, he/ she should join the Kendriya Vidyalaya mentioned overleaf on or before 21.10.2017. Necessary proforma for the purpose are enclosed which should be submitted to the Principal concerned, after getting the same duly completed at the time of joining. If the offer is not accepted or the appointee does not report for duty at the above named Vidyalaya by 21.10.2017, this offer of appointment will automatically stand cancelled and no further correspondence will be entertained from him/ her.
- Suppression of any information will be considered a major offence for which the punishment may extend to dismissal from the services.
- 14. He/she will not request for transfer within three years of initial appointment or as per the Kendriya Vidyalaya Sangathan transfer guidelines amended from time to time.
- He/she has been allotted East zone.
- 16. For subsequent promotion, the incumbent will have to acquire academic and professional degree from recognized University, as per application rules and regulations.

( DR. JYOTI VARMA) DEPUTY COMMISSIONER

Encl. As above.

Sh./Smt./Km MUKESH KUMAR MISHRA S/o-Subhash Chandra Mishra Vill-Mahakni, Po-Katramedniganj, Pratapgarh, UP-230131

### Copy forwarded to :-

- 2. The Principal, Kendriya Vidyalaya, RAU PUSA The date of joining of the candidate may be intimated to this office as well as KVS(Hqrs)New Delhi through E-Mail (E-Mail ID of KVS Hqrs kvs\_e2@yahoo.co.in) immediately after the candidate reports for duty. In case he/she does not join by the stipulated date, this office should be informed accordingly on e-mail. This appointment is further subject to production of certificates etc., as per Article 46 of Education Code for Kendriya Vidyalayas. The candidate be allowed to join his/ her duties only after verification of the eligibility and educational qualification etc from their original certificates, and on submission of requisite forms/ statements duly completed in all respects. Those appointed under SC/ST/OBC/PH/Blind quota may be allowed to join duties only on production of original certificate mentioned in para 8 of the order. Principals are also requested to check the original certificates in respect of the qualifications of the appointee employees and satisfy themselves that the appointee possesses requisite qualification for the post he/ she is appointed to.

DEPUTY COMMISSIONER



### SPORTS AUTHORITY OF INDIA (COACHING DIVISION)

Jawaharlal Nehru Stadium Complex East Gate No. 10 Lodhi Road New Delhi-110003

Date: 17/10/2017

F. No. 38-1/39/SAI/CD/Rectt./2016

To

= 201040036(BOXING) Roll, No. : SIKANDAR PATEL Name Father's Name: HARIHAR PATEL

Address

Borosos Public Scho Rathatar Vinan Colony Comme Chat Conta-Varanoni (UP) PIN- 22/005

Subject: Offer of Appointment as Assistant Coach in PB-2 Rs. 9300-34800/- + Grade Pay Rs. 4200/-, in Sports Authority of India (SAI).

Sir/Madam,

Based on the Notification No. 2/2016 published in the Employment News 12th 18th November, 2016 issued for the appointment of coaches at Sports Authority of India in the grade of Assistant Coach in the pay band - II (Rs.9300-34800+GP Rs.4200/- (Pre-revised)) and subsequent to the Written Test, Physical/Skill Test and Interview, the Director General. Sports Authority of India is pleased to offer you the post of Assistant Coach in Sports Authority of India, at the minimum of the pay scale. In addition to the scale, you will be entitled to other allowance as applicable to the employees of your grade in Sports Authority of India.

- You shall not be eligible for appointment if you have entered into or contracted a marriage with person having a spouse living or having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person. However, the Sports Authority of India, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there is a declaration as per the proforma enclosed.
- You will be governed by the New Pension Scheme introduced by the Govt. of India & applicable to the employees of this Authority as amended from time to time.
- You will be governed by the LIC Group Saving Linked Insurance Scheme applicable in SAI from time to time.

Contd....2)-







### SPORTS AUTHORITY OF INDIA (COACHING DIVISION)

Jawaharlal Nehru Stadium Complex East Gate No. 10 Lodhi Road New Delhi-110003

Date: 17/10/2017

F. No. 38-1/39/SAI/CD/Rectt./2016

To

: 201040036[ROXING] Rell. No. · SIKANDAR PATEL Name Father's Name: HARIHAR PATEL

Bornson Public Sor Somme Ghat Conta-Varanon (UP)
PIN- 22/005

Subject: Offer of Appointment as Assistant Coach in PB-2 Rs. 9300-34800/- + Grade Pay Rs. 4200/-, in Sports Authority of India (SAI).

Sir/Madam,

Based on the Notification No. 2/2016 published in the Employment News 12th-18th November, 2016 issued for the appointment of coaches at Sports Authority of India in the grade of Assistant Coach in the pay band - II (Rs.9300-34800+GP Rs.4200/- (Pre-revised)) and subsequent to the Written Test, Physical/Skill Test and Interview, the Director General, Sports Authority of India is pleased to offer you the post of Assistant Coach in Sports Authority of India, at the minimum of the pay scale. In addition to the scale, you will be entitled to other allowance as applicable to the employees of your grade in Sports Authority of lodia.

- You shall not be eligible for appointment if you have entered into or contracted a marriage with person having a spouse living or having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person. However, the Sports Authority of India, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there is a declaration as per the proforma enclosed.
- You will be governed by the New Pension Scheme introduced by the Govt. of India & applicable to the employees of this Authority as amended from time to time.
- You will be governed by the LIC Group Saving Linked Insurance Scheme applicable in SAI from time to time.

Contd 2/





- You will not be entitled to any.TA/DA for joining the duty. 50
- You will be required to serve anywhere in India. 6.
- You will be on probation for a period of two years, which can be extended by the appointing authority at its discretion. If during the period of probation you are found unsuitable for holding the post, the appointing authority may terminate your service without notice and assigning any reason thereon.
- Your appointment is subject to verification of your character and antecedents to the R satisfaction of this Authority.
- The appointment will be further subject to:
  - (i) Production of a Certificate of Medical Fitness, In the case of Male Candidate, a Civil Surgeon of a District Medical Officer or a Medical Officer of equivalent status and in the case of Female Candidate appointed to a post (i) in Delhi , the Assistant Surgeon Grade - I (Woman), under the Central Government Health Scheme and (ii) in any other place, a registered Female Medical Practitioner possessing a medical qualification included in one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Indian Medical Central Act, 1970 and Homeopathy Central Council Act, 1973.
  - (ii) Taking an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India (or making a solemn affirmation to that effect) in the prescribed form.
  - (iii) Production of the following original certificates for verification.
    - (a) Certificate of Educational and other Technical qualification.
    - (b) Certificate of age proof.
    - (c) Attestation form in quadruplicate (copy enclosed) duly filled in with the identity certificate and also a certificate of character in the form prescribed from two gazette officer duly attested by a District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or 1st class Magistrate. This certificate should be sent along with your letter of acceptance.
  - (d) Discharge certificate from you previous employment, if any.
  - (e) Evidence of your being a Citizen of India.
  - (f) Caste Certificate, if belong to SC/ST and OBC category in prescribed form (Format enclosed) issued by the Competent Authority empowered to issue the caste certificate. The appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificates beings verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Class, as the case may be is false the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal code for production of false certificates.

Contd...3/-






- You will be governed by the Service Bye-Laws and other rules and regulations of this Authority as amended from time to time.
- 11. In case, it is found after scrutiny of your qualification and age limit etc. that you do not possess the requisite qualifications and satisfy the age limit for the said post the offer of appointment made to you in this letter will be cancelled at any time after the above fact comes to the notice of this office.
- 12. In case, it is found later that any of the certificates produced by you is false/forged, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as shall be taken under the provisions of the Indian Penal code for production of false certificates.
- 13. If the above terms and conditions are acceptable to you, please communicate your acceptance immediately along with attestation form dully complete in all respect in quadruplicate to the undersigned at Sports Authority of India, Jawaharlal Nehru Stadium Complex, East Gate No- 10, Lodhi Road, New Delhi 110003 on or before 31\* October,2017 and please get yourself medically examined on the basis of this offer and report for duty to the undersigned along with medical fitness certificate, on 06th November,2017 at Sports Authority of India, Head Office, Jawaharlal Nehru Stadium Complex, East Gate No- 10, Lodhi Road, New Delhi 110003, failing which this offer would be treated as cancelled.

(Sanjeev Sharma) Director (Coaching)

Copy to:

- 1. AD to DG, SAI
- 2. SPA to DDG, SAI
- 3. Personnel File

NOTE: Download Attestation Form from Sports Authority of India (SAI) website.





TWA - DECRESSAN

# SARDAR VALLABH BHAI PATEL SBV

Assisted Statementon, New Cells 110 010

Subset Code : 1825007

20C 12/2C

Cashwe

30 to consider down on Manager Horar waying as PET (JUT) Give 89-410

Now appropriate frames 10-No - 2018 2013



to e Principal SVBP SBV TNB Extr. N. Dath-19 School ID 1975007 धेवक.

जिला विद्यालय निरीक्षक. देवरिया।

सेवा में

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,

शहीद मध्यन करादम इ०का० खोरीबारी.

देवरिया।

पत्रांक / घ०बी० /

/2020-21

दिनांक-1 5-11 - 2021

विषय- विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्मातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं 02 पदो के प्रति उ०प्र0माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली-1998 के नियम-12 उपनियम() तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा लिए उपयुंक्त अभ्यर्थियों का पैनल 12(11) के अधीन कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक/४०६७-४१४४/ चयन/123-2021/2020-21 दिनांक 08-11-2021 के साथ संलग्न विज्ञापन संख्या-01/2021 के साथ जारी स्नातक शारीरिक शिक्षा विषय की पैनल के सूची कोक्रमंक-450 पर अंकित चयनित अन्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत है:-

अनुक्रक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	विषय	विद्यालय का नाम	अन्यर्थी का पूरा पता
0910024494	ANIMESH KUMAR	RAJESH KUMAR	SC	PHYSICAL EDUCATION	S M K INTER COLLEGE KHORIBARI DEORIA	RAJESH KUMAR, KAITHOLA, RANIGANJ, PRATAPGARH, UP- 229410

उक्त आदेश के अनुपालन में बयनित अभ्यर्थी को अपने विद्यालय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा लेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा निर्नत नियमावली के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की जॉब / मिलान आप स्वयं उनके मूल प्रमाण-पत्रों से करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। शिक्षा निदेशक्ताये के पत्रांक/शिविर/30305-30405/2020-21 दिनांक 25-01-2021 के अनुपलान में चयनित अभ्यर्थी के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने स्तर से कराये तथा चयनित अभ्यर्थी से निम्न विवरणानुसार श्चयपत्र प्राप्त कर अपना शपथपत्र के साथ सत्यापन आख्या कार्यालय को प्रस्तुत करे।

" मैं (\_) प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख / तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि कोई अभिलेख कूटरियत / फर्जी पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति / चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त के कारण यदि मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता में प्राविधानित सुसंगत घाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।"

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण न कराये जाने की दशा में विद्यालय प्रबन्धतंत्र दोषी माना जायेगा और उसके विरूद्ध उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा स्थापित नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

(योन्द कुमार गुप्तक) जिला विद्यालय निरोक्षक, देवरिया।

प्राप्ति / प्राप्ति / विश्व

/2020-21

तददिनांकित।

प्रतिलिपि-(पंजीकृत-पत्र) निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-समिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

2-शिक्षा निदेशक्(मार्थ) उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखन्छ।

3-संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

4-वित्त एवं लेखाधिकारी(मा०शिक्षे कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।

5-ANIMESH KUMAR, KAITHOLA, RANIGANJ, PRATAPGARH, UP-229410

जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया (

धेवक.

जिला विद्यालय निरीक्षक. देवरिया।

सेवा में

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,

शहीद मध्यन करादम इ०का० खोरीबारी.

देवरिया।

पत्रांक / घ०बी० /

/2020-21

दिनांक-1 5-11 - 2021

विषय- विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्मातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं 02 पदो के प्रति उ०प्र0माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली-1998 के नियम-12 उपनियम() तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा लिए उपयुंक्त अभ्यर्थियों का पैनल 12(11) के अधीन कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक/४०६७-४१४४/ चयन/123-2021/2020-21 दिनांक 08-11-2021 के साथ संलग्न विज्ञापन संख्या-01/2021 के साथ जारी स्नातक शारीरिक शिक्षा विषय की पैनल के सूची कोक्रमंक-450 पर अंकित चयनित अन्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत है:-

अनुक्रक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	विषय	विद्यालय का नाम	अन्यर्थी का पूरा पता
0910024494	ANIMESH KUMAR	RAJESH KUMAR	SC	PHYSICAL EDUCATION	S M K INTER COLLEGE KHORIBARI DEORIA	RAJESH KUMAR, KAITHOLA, RANIGANJ, PRATAPGARH, UP- 229410

उक्त आदेश के अनुपालन में बयनित अभ्यर्थी को अपने विद्यालय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा लेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा निर्नत नियमावली के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की जॉब / मिलान आप स्वयं उनके मूल प्रमाण-पत्रों से करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। शिक्षा निदेशक्ताये के पत्रांक/शिविर/30305-30405/2020-21 दिनांक 25-01-2021 के अनुपलान में चयनित अभ्यर्थी के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने स्तर से कराये तथा चयनित अभ्यर्थी से निम्न विवरणानुसार श्चयपत्र प्राप्त कर अपना शपथपत्र के साथ सत्यापन आख्या कार्यालय को प्रस्तुत करे।

" मैं (\_) प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख / तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि कोई अभिलेख कूटरियत / फर्जी पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति / चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त के कारण यदि मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता में प्राविधानित सुसंगत घाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।"

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण न कराये जाने की दशा में विद्यालय प्रबन्धतंत्र दोषी माना जायेगा और उसके विरूद्ध उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा स्थापित नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

(योन्द कुमार गुप्तक) जिला विद्यालय निरोक्षक, देवरिया।

प्राप्ति / प्राप्ति / विश्व

/2020-21

तददिनांकित।

प्रतिलिपि-(पंजीकृत-पत्र) निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-समिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

2-शिक्षा निदेशक्(मार्थ) उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखन्छ।

3-संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

4-वित्त एवं लेखाधिकारी(मा०शिक्षे कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।

5-ANIMESH KUMAR, KAITHOLA, RANIGANJ, PRATAPGARH, UP-229410

जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया (

### केंद्रीय विद्यालय संगठन तिनस्किया संभाग

ऑइस केंग्स दुसियाजान

जिला : डिब्रगड -७८६६०२ (असम)

বুলোম । 0374-2800031, फेक्स । 2800091

वेबसाइट: www.kvs.rotinsukia.org इं.संस: newkvstinsukia@gmail.com



### KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN TINSUKIA REGION

OIL CAMPUS DULIAJAN

DIST.: DIBRUGARH -786602 (ASSAM)

TEL: 0374-2800031, FAX: 0374-2800091 WEBSITE - www.kvsrotinsukia.org

E-mail ID - newkystinsukia@gmail.com

Date: 19.09.2016 E.MAIL/ SPEED POST

### F.42054/PGT/2016-17/KVS (RO)/TSK/Admn./5155

# SUB: OFFER OF APPOINTMENT TO THE POST OF TGT (P&HE) IN KVS.

1. With reference to his application for the above post, Shri Chandrapratap Singh it is hereby informed that he has been selected for appointment against a temporary post of TGT (P&HE) in the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the Pay Scale of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600 (PB-II) and posted at the Kendriya Vidyalaya, Gerukamukh, Assam. He will draw allowances and other benefits in addition to pay at rates as admissible to the Kendriya Vidyalaya Sangathan employees. This offer of appointment is subject to the candidate being declared fit for the post of TGT (P&HE) by a Civil Surgeon.

MEMORANDUM

- 2. If the candidate is a woman, she should clarify that she is not in the family way at the time of acceptance of the appointment. If However, she is pregnant of twelve weeks standing or more at the time of acceptance of appointment as a result of medical test, it will be open to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she so desires. Furthermore, the affected woman candidate in such a situation who expresses her willingness to join may be asked to produce a certificate of fitness from CMO of Govt. Hospital that she is fit to carry out the assigned work in her present state.
- No TA/DA will be admissible for first joining the Sangathan as TGT (P&HE)
- He will be an probation for a <u>period of O2 years</u> from the date of appointment which may be extended.
   Upon successful completion of probation, he will be confirmed as per the Kendriya Vidyalaya Sangathan rules.
- 5. During the probation and thereafter, until he is confirmed, the services of the appointee are terminable by one month's notice on either side without any reason being assigned, thereof. The appointing authority, however, reserves the right to terminate the services of the appointee before expiry of the stipulated period of notice by making payment of sum equivalent to the pay & allowances for the period of notice of the unexpired partion thereof.
- 6. Other terms and conditions of service governing of the appointment are as laid down in the Education Code for Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees amended from time to time. A Welfare Scheme namely Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees Welfare Scheme has been introduced from 01.04.2002. Joining the above scheme is compulsory.
- He will be eligible for the new Restructured Defined Contribution Pension Scheme only as circulated by KV5 (HQ) vide circular No.2-17/2003-04/KV5(Budget) dated 08/12.03.2004 and F.2-17/2003-04/KV5(Budget) dated 24.12.2004.
- 8. The appointment is provisional and is subject to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate/Other Backward Classes /physically handicapped/ Blind being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claim to SC/ST/OBC/PH/Blind as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.

- He will fill up the character and antecedents verification form along with recent photograph and will hand over the same to the Principal concerned.
- 10. In case of any dispute or claim against the Kendriya Vidyalaya Sangathan, in respect of service or any contract arising out of or flowing from this offer of appointment the Courts of Delhi alone shall have jurisdiction.
- 11. If he accepts the offer on the terms and conditions stipulated he would send his acceptance latest by 29.09.2016 to the KVS (RO). Tinsukia on receipt of this memorandum and will join the office mentioned overleaf on or before 10.10.2016. Necessary proforms for the purpose are enclosed which should be submitted to the concerned Vidyalaya, after getting the same duly completed in any case by 29.09.2016. If the offer is not accepted by the said date or after acceptance if the appointee does not report for duty at Kendriya Vidyalaya, Gerukamukh, Assam by 10.10.2016 this offer of appointment will automatically stand cancelled and no further correspondence will be entertained from him.
- Suppression of any information will be considered a major offence for which the punishment may extend to dismissal from the services.
- He will not request for transfer within one year of initial appointment or as per the Kendriya Vidyalaya Sangathan transfer guidelines amended from time to time.
- 14. He is liable to be transferred anywhere in India.
- 15. For subsequent promotion the incumbent will have to acquire equivalent degree from recognized University, if not acquired.

(Dr. D. Manjunath)

Enclosure: As above.

Shri Chandrapratap Singh Forest Barrier Near RIM Tower Village-Uslapur, PO-Sakri, Bilaspur, Chattisgarh - 495001

### Copy for information -

- 1. The Additional Commissioner (Admn.) KVS, Hgrs, New Delhi for information.
- 2. The Deputy Commissioner (Admn), KV5 Hqrs, New Delhi for information.
- 3. The Principal, Kendriya Vidyalaya, Gerukamukh, Assam the date of joining of the candidate may be intimated to this office as well as KV5 (Hqrs), New Delhi through E-mail (E-mail ID of KVS Hqrs- kvs\_e2@yahoo.co.in) immediately after the candidate reports for duty. This appointment is further subject to production of certificates etc., as per Article 46 of Education Code for Kendriya Vidyalayas. The candidate be allowed to join his duties only after verification of original certificates and on submission of requisite forms/ statements duly completed in all respects. Those appointments under 5C/ST/OBC/PH/Blind quota may be allowed to join duties only on production of original certificate mentioned in para 8 of the order. The Principal is also requested to check the original certificates in respect of the qualifications of the appointee employee and satisfy himself that the appointee possesses requisite qualification for the post he is appointed to.

threese.

जिला विधालय निरीसक जीनपुर।

सोवा भ

प्रकाक/प्रधानाचार्य जवाहर लाल नेहरू इम्टर कालेज आनापुर, जीनपुर।

पंजाक/

/2021-22 दिनाक- 22-11-2] विज्ञापन संख्या-1/2021 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं वर्ग-02 पदों के प्रति उठप्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम-12 उपनियम (6) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा पद के लिए नियम 12 (11) के अधीन पैनाल प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोत्या

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उ०प्रंथ माध्यमिक शिक्षा सेथा चयन बोर्ड, प्रयागराज के प्रज्ञक/
4067-4144/चयन/123-2021/2021-22 दिनांक 08:11:2021 के द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्थालक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं वर्ग-02 पर्दों के प्रति उ०प्रंथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम-12 उपनियम (8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्थातक कला पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल नियम 12 (11) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्थातक शारीरिक शिक्षा पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् हैं-

和0	अनुक्रमांक	चयनित अध्यर्थी का नाम पिता का नाम व पता	पद का नाम एवं विषय	आवंदित संस्था का नाम	श्रेणी	वर्ग
140	0910027457	DHIRAF KUMAR SINGH PREM SINGH BARAHI KALA, HARAHI NEWADA, VARANASI UTTAR PRADESH 221/207	प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा	जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज आनापुर, जीनपुर।	सामान्य जाति	01

उक्त के प्रसंग में वयन बोर्ड नियमावली 1998 की धारा 13(1) के खण्ड एक, दो व तीन के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि चयन बोर्ड नियमावली की धारा 13 के उपनियम 2 तथा 3 के अधीन प्रबंधतंत्र द्वारा संकल्प पारित कराकर नियुवित पत्र निर्गत करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने का प्राविधान है।

शिक्षा निदेशक (मा0) उ०प्र० लखनक के पत्रांक/सा0(1)शि0/4959-5052/2016-17 दिनांक 09 अगस्त 2016 एवं संशोधित आदेश सामान्य (1) शि0/9861-9935/2016-17 दिनांक 29.11.2016 के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को कार्यमार ग्रहण कराते हुए उनके समस्त शैक्षिक अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराते हुए सत्यापन आख्या के साथ वेतन हेतु पत्रावली प्रस्तुत किया जाय। यदि विज्ञापित पद के प्रति न्यायालय का कोई आदेश हो तो उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्गत किये गये नियुक्ति पत्र की प्रति चयन बोर्ड एवं अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। चयनित अभ्यर्थी को नवीनतम् निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष ही कार्यमार ग्रहण कराने की कार्यवाही करें तथा सत्यापन में कोई विसंगति पायी जाती है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाय।

मवदीय

(राजकुमार पंडित) जिला विद्यालय निरीक्षक जीनपुर।

पृ०सं०/आयोग/ 16767-12 /2021-22 दिनांक-प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ।

3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

4. वित्त एवं लेखाधिकारी (मा०शि०), जौनपुर।

5- DHIRAJ KUMAR SINGH, PREM SINGH, BARAHI KALA, BARAHI NEWADA, VARANASI UTTAR PRADESH 221207

जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर। प्रेक्क.

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।

सेवा में.

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, वापू इ०का० सलेमपुर, वेवनियाः।

पत्रांक/चंग्योत/ ८०१५-१९

/2021-22

दिनांक- 15-11- 2021

विषय – विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्नातक श्रारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं 02 पदों के प्रति उठप्र0माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली-1998 के नियम-12 उपनियम(8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा लिए उपर्युक्त अभ्यार्थियों का पैनल 12(11) के अधीन कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय.

चपर्युक्त विषयक सचिव, च०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक/4067-4144/ चयन/123-2021/2020-21 दिनांक 08-11-2021 के साथ संलग्न विज्ञापन संख्या-01/2021 के साथ जारी स्नातक शारीरिक शिक्षा किय की पैनल के सूची के क्रमांक-212 पर अंकित चयनित अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत है:-

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	अंणी	विषय	विद्यालय का नाम	अन्यर्थी का पूरा पता
0910028837	DIGVIJAI PRAJAPATI	RAMASHRY PRAJAPATI	OBC	PHYSICAL EDUCATION	BAPU INTER COLLEGE SALEMPUR DEORIA	RAMASHRY PRAJAPATI, AKTAHIA URF MATIYARI, TARASARA, DEORIA, UP-274204

उक्त आदेश के अनुपालन में चयनित अम्बर्धी को अपने विद्यालय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा निर्गत नियमावली के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त चयनित अम्यर्थी के समस्त शैक्षिक प्रमाण—पत्रों की जॉब/मिलान आप स्वयं उनके मूल प्रमाण—पत्रों से करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। शिक्षा निदेशक(मा0) के पत्रांक/शिविर/30305-30405/2020-21 दिनांक 25-01-2021 के अनुपलान में चयनित अभ्यर्थी के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने स्तर से कराये तथा चयनित अभ्यर्थी से निम्न विवरणानुसार शपक्षपत्र प्राप्त कर अपना शपक्षपत्र के साथ सत्यापन आख्या कार्यालय को प्रस्तुत करे।

" मैं (.......नाम/पिता का नाम/पता.......) प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत थयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख/तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि कोई अभिलेख कूटरचित/फर्जी पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति/चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त के कारण यदि मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता में प्राविधानित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।"

अरसु आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण न कराये जाने की दशा में विद्यालय प्रबन्धतंत्र दोषी माना जायेगा और उसके विरूद्ध उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा स्थापित नियमायली में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

> (देवेन्द्र कुमीर नुप्ता) जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया

पृतसंत / चवबोत / ----

/2020-21

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-(पंजीकृत-पत्र) निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

1-सचिव, उतार प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

2-शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 18 पार्क शेड, लखनऊ।

3--संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

4-वित्त एवं लेखाधिकारी(माoशिo), कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।

5-DIGVIJAI PRAJAPATI, AKTAHIA URF MATIYARI, TARASARA, DEORIA, UP-274204

जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया।



सलेमपुर, देवरिया (उ०प्र०)

email - bmvic1948@gmail.com Mob - 9454336181 U-DISE Code-09600405609

विद्यालय कोड (संस्थागत-771077 /व्यक्तिगत-775077

पत्रांक..489:33./.ि.पु/कर.42..../2021-22

प्रेषक -

प्रधानाचार्य /प्रबंधक

# नियुक्ति पत्र

जिलाविद्यालय निरीक्षक के पत्रांक पृ. सं/च.बो./8014-19 /2020-21 दिनोंक 15-11-2021 तथा सचिव उ.प्र.माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,प्रयागराज के पत्रांक 4067-4144/ चयन /123-2021 /2020-21 दिनाँक 08-11-2021 विज्ञापन संख्या -01/2021 के अन्तर्गत दिनाँक 08-11-2021 को जारी सूची के क्रमांक संख्या 212 के आलोक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम-12 उपनियम (8) तथा (10) पैनल 12(11) क्रमांक 629 के अधीन प्रशिक्षित स्नातक क्रम में श्री दिग्विजय प्रजापति पुत्र श्री रामाश्रय प्रजापति पता- अकटहिया मटियारी तरसरा जिला- देवरिया ,उत्तर प्रदेश-274204 की नियुक्ति सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा ( अन्य पिछड़ा वर्ग ) के पद पर दिनाँक 27-11-2021 को प्रातः 10.00 बजे से की जाती है।अनवरत एवम बाधारहित एक वर्ष की सेवा के पश्चात पद पर स्वयमेव स्थायी स्वीकृति होगी।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1.कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया

2-प्रधानाचार्य, बापू इण्टर कॉलेज,सलेमपुर, देवरिया

3- श्री दिग्विजय प्रजापति, स अध्यापक शारीरिक शिक्षा, बापू इण्टर कॉलेज, सलेमपुर,देवरिया।

हस्ताक्षर प्रबन्धक

७यो तिमा विनहा ज्योतिमा सिन्हा

व्यवस्थालक एवं चंत्री बापू इण्टर कालज सलमपुर,देवरिका

केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रय कार्यालय संगीय कार्यालय, आई. आई. टी. केंग्स पन्ने 600 036 (नामामापु)



RENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (Under Ministry of HRD)
REGIONAL OFFICE,
IIT CAMPUS
Chennai - 600 036 (TN)
Web: www.kvurochennai.in
E-Mail: dechennaile-wagmail.com

फाइल सं 17053/ टी जी टी के वि सं (चे क्षे )/2018-19

दिनांक: 06.03.2019

### ज्ञापन

विषय: TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E) पद के लिए जियुक्ति पस्ताव ।

भीजीनती जुमारी HIRAMATI SAHU (Roll No.41703258), द्वारा उपर्युक्तपद हेतुप्रस्तृत आवेदन-पत्रके संदर्शमें एतद्वारा यह स्चित किया जाता है कि उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन में TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E) के अन्यायी पद पर वेतन मेंट्रिक्स (in the entry Cell No.1) Level-07 (7 वीं सीपीसी) में नियुक्ति हेतु उनका चयन किया गया है और वर्तमान में उन्हें केंद्रीय विद्यालय PERAMBALUR, पेन्ले क्षेत्र के अधीन दिस्थालोन में तैनात किया जाता है। वह वेतन के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्मिकों को देय अत्तो तथा अन्य लाओं, के हकदार होंगे / होंगी। यह नियुक्ति प्रस्ताव अञ्चर्यी को जिला विकास अधिकारी या समकक्ष स्थिति के चिकित्सा अधिकारी से धिकित्सा फिटनेसप्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की शत पर है।

- 2 यदि अभ्ययों महिला हैं तो उन्हें यह प्रमाणित करना होया कि नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करते समय वह गर्भवती नहीं हैं और यदि प्रस्ताव स्वीकृत करते समय वह गर्भवती नहीं हैं और यदि प्रस्ताव स्वीकृत करते समय विकित्सकीय परीक्षण के उपरान्त वह 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि से गर्भवती पायी जाती हैं तो अभ्यर्थी यदि पाई तो अपनी प्रसूति अवधि / अवस्था समाप्त होने तक नियुक्ति के पद पर पदामार ग्रहण करने से छूट की प्रार्थना कर सकती है या संबंधित महिला अभ्यर्थी ऐसी परिस्थिति में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी इंग्ड्य प्रकट करती है तो उसे सरकारी अस्पताल के सी. एम. औ. से बोन्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए कि वह वर्तमान अवस्था में सीचे गए कार्य का निर्वहन करने के लिए योग्य है ।
- संगठन में TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E) पद पर प्रथम बार कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता /
   दैनिक भत्ता देय नहीं होगा ।
- 4. वह दो वर्षों की अविधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगी / रहेंगे, जिसे क्यास्थिति बद्धया भी जा सकता है । परिवीक्षा अविधि के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निवमानुसार स्थायी किया जाएगा ।
- 5. परिवीक्षा अविधि के दौरान या उसके बाद उनकी नियुक्ति स्थायी होने तक, बिना कोई कारण बताए अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकती है । तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के पास दिना कोई कारण बताए अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा ।
- इस नियुक्ति की सेवाओं को शासित करने की अन्य शर्ते केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा कोड (समय समय पर यथासंशोधित) में दिए अनुसार होंगी । केन्द्रीय विद्यालय संगठन 'कर्मचारी कल्याण योजना' नामक कल्याण योजना जो दिनांक 01.04.2002 से प्रारंभ की गयी है इस योजना में आपको शामिल होना अनिवार्य है ।
- 7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परिपन्न संख्या 2-17/2003-04/KVS(Budget) दिनांक 08/12.03.2004 एवं F. 2-17/2003-04/KVS(Budget) दिनांक24.12.2004 द्वारा परिचालित नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पैशन योजना (Restructured Defined Contribution Pension Scheme) के लिए वह योग्य / पात्र होंगे / होगी ।
- 8. यह नियुक्ति अस्थायी है तथा अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति । अन्य चिछड़ा वर्ग । विकलांग (दिल्यांग) । नेवहीन होने के उचित माध्यम से सत्यापन होने की शर्त पर है । यदि सत्यापन के बाद अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति । अन्य चिछड़ा वर्ग । विकलांग (दिल्यांग) । नेवहीन या जो भी हो, होने का दावा गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी आएंगी एवं भारतीय दंड सहिता के प्रावधानों के अंतर्गत । तहत कर्जी । इन्हें प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए आगे की कर्यवाई की जाएगी ।
- उन्हें अपनी नवीन फोटो सहित अपने पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्नी और चरित्र प्रमाण पत्र को अरकर संबंधित प्राचार्य को सौंपना होगा ।
- 10. इस नियुक्ति प्रस्ताव या इसके संबंध में किसी संविदा अथवा सेवाओं के संदर्भ में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विरुद्ध / खिलाफ किसी भी प्रकार का दावा / विवाद होने के मामले में केवल दिल्ली न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा ।
- 11. MCTE के लंशोधित पावता मानदंड के अनुसार बीएड के आधार पर । से v तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षाकों को पाथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें नियुक्ति के बाद, दो साल के मीतर एनसीटीई के 6 महीने के ब्रिज कोर्स को अनिवार्य रूप से पूरा करना है।
- 12. यदि वह निर्धारित नियमों एवं शर्ती पर यह प्रस्ताव स्वीकार करती है / करते है तो उन्हें दिनांक 27.03.2019 या इससे पूर्व तक इस पत्र के दूसरी और उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय में कार्यशार ग्रहण करना चाहिए । इस आश्य के लिए आवश्यक प्रपत्र संसनन हैं जिन्हें कार्यशार ग्रहण करते समय विधिवत रूप से पूर्ण शरकर संबंधित प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा । यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाता है अथवा अञ्चर्या उक्त वर्णित विद्यालय में दिनांक 27.03.2019 तक पदमार ग्रहण नहीं करती हैं / करते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही रह / निरस्त म्हना जाएगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार पर कोई विधार नहीं किया जाएगा ।
- किसी भी प्रकार की सूपना को छिपाना गंभीर अपराध माना जाएगा और उसके लिए टंडस्वरूप सेवा से उनकी बर्खास्तागी तक की जा सकती है ।

OL

केंद्रीय विद्यासय संगठन शामन गामन विस्ता संग्या के स्टीन संभीय कार्यासय, आई. आई. टी. केंपस येन्से 600 036 (जिस्स्वात)

bets Breas Store

KENDRITA VIDYALAYA SANGAIHAN (Under Ministry of HRD) REGIONAL OFFICE, IIT CAMPUS Chennai - 500 036 (TN) Web: www.kvspochennai.in E-Mail: dechennaily.sagmak.com

No.F.17053 /TGT/KVS(CHER)/2018-19

Date: 06.03.2019 REGISTERED/ SPEED POST

### MEMORANDUM

SUB: OFFER OF APPOINTMENT TO THE POST OF TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E)

With reference to his/her application, Mr./Mrs./Ms. HIRAMATI SAHU (Roll No.41703258) is hereby informed that he/she has been selected for appointment against a temporary post of TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E) in the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the pay matrix (in the entry Cell No.1) Level-07, (7th CPC) and posted at the Kendriya Vidyalaya, PERAMBALUR in Chennai Region under South Zone. He/she will draw allowances and other benefits as admissible to the employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan. This offer of appointment is subject to the candidate to the candidate producing Medical Certificate of fitness issued by a District Medical Officer or a Medical Officer of equivalent status.

- 2. If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of the appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks standing or more as a result of medical test at the time of acceptance of appointment, it will be opened to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she desires so. Furthermore, the affected woman candidate, in such a situation, who expresses her willingness to join, may be asked to produce a certificate of fitness from Chief Medical Officer (CMO) of Govt. Hospital that she is fit to carry out the assigned work in her present state.
- 3. No TA/DA will be admissible for first joining the Sangathan as TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E)
- He/she will be on probation for a period of 02 years which may be extended. Upon successful completion of probation, he/she will be confirmed as per the rules of Kendriya Vidyalaya Sangathan.
- During the probation and thereafter, until he/she is confirmed, the services of the appointee are terminable. The appointing authority reserves the right to terminate the services of the appointee at any point of time during the probation period without assigning any reason thereof.
- 6. Other terms and conditions of service governing the appointment are as laid down in the Education Code for Kendriya Vidyslayas amended from time to time. A Welfare Scheme namely Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees Welfare Scheme has been introduced from 01.4.2002. Joining the above scheme is compulsory.
- He/she will be eligible for the new Restructured Defined Contribution Pension Scheme only as circulated by KVS (HQ) vide circular No.2-17/2003-04/KVS(Budget), dated 08/12:03.2004 and F. 2-17/2003-04/KVS(Budget), dated 24.12:2004.
- 8. The appointment is provisional and is subject to the certificate(s) of Scheduled Caste/Scheduled Tribe / Other Backward Classes/Physically Handicapped/Blind being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claim to SC/ST/OBC/PH/Blind as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.
- He/ she will fill up the character and antecedents verification form along with recent photograph and will handover the same to the Principal concerned.
- 10. In case of any dispute or claim against the Kendriya Vidyalaya Sangathan, in respect of service or any contract arising out of or flowing from this offer of appointment, the Courts of Delhi alone shall have jurisdiction.
- 11. As per the modified eligibility criteria laid down by the NCTE for those teachers who have been appointed to teach classes from I to V on the basis of B.Ed. degree shall mandatorily undergo a six months Bridge Course in elementary education recognized by the NCTE within two years of such appointment as Primary Teacher.
- 12. If he/she accepts the offer on the terms and conditions as mentioned in this offer letter, he/she should join the Kendriya Vidyalaya mentioned overleaf on or before 27.03.2019. Necessary proforms for the purpose are enclosed which should be submitted to the Principal concerned, after getting the same duly completed at the time of joining. If the offer is not accepted or the appointee does not report for duty at the above named

 वह आरंभिक नियुक्ति के तीन वर्ष तक अथवा केन्द्रीय विद्वालय संगठन द्वारा समय - समय पर संशोधित केविस के स्थानातरण दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण हेतु प्रार्थमा /अनुरोध नहीं करेंगी / करेंगे ।

15. उनको दक्षिणजोन पर आबंटित किया गया है।

16 के वि सं के नियमी और विनियमों के अनुसार, बाद में पदोन्नति के लिए पदधारी को, अधियहीत नहीं तो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्वालय से समकक्षा डिग्री हासिल करनी होगी ।।

17. यदि वह मियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो उसे उस राज्य के शिवमी के अनुसार मूल्य के गैर-स्वाधिक स्टाप पेपर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में एक सेवा समझौते सह ज़मानत बांड देना होगा कि के वि सं में कार्वभार बहुण करने की तारीख से स्यूनतम 02 वर्षों की अवधि के लिए संवा करने के लिए सहमत है जिसमें परिवेक्षा की अवधि और विस्तारित अवधि भी शामिल है। यदि वह इस समझौते का उल्लंघन करता है, तो वह केंद्रीय विद्यालय संगठन को 2,00,000/- (केंवन दो लाख रुपये) का मुगताग करने के लिए सहमत है। इस समझौते को के वि सं की सेवाओं में कार्यभार यहण करने की तारीख से निष्पादित किया जाएगा और मानक प्रारुप (मानक बॉन्ड प्रारुप संलग्न है) में के वि सं को प्राचार्य/प्राचार्या के माध्यम से देगोदेगी।

18. निम्निसिक्षेत दस्तावेजों को कार्यभार सहण करने के समय के वि सं को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। इस पत्र के साथ प्रारूप संस्कृत है।

- i) राज्य के निवर्मों के अनुसार (Ps.1004) मूल्य के गैर-स्वायिक स्टाम्प पेपर पर सेवा अनुबंध सह ज़मानत बांड का मूल डांड।
- वीन नवीनतमप्रवेटो सहित अपने पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र और चरित्र प्रमाण पत्र
- जिला चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष स्थिति के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा फिटलेस प्रमाणपत्र।
- m) नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति।
- v) निष्ठा की शपथ।
- अ) चल और अचल संपत्तियों और देलदारियों का विवरण।

संसम्बकः यथीपरि

TO Shri/Smt/Ms.HIRAMATI SAHU SIG (OR) WIG (OR) DIGSH. JEEWAN LAL SAHU HOUSE NO.90, WARD NO.5, HIGH SCHOOL ROAD BEMETARA CHHATTISGARH - 491335

प्रतिलिपि निम्नतिखित को प्रेषित है :-

- 1) प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय ---परताथ को स्थानार करते/करती हैं तो उनहैं तत्काल नवीन पद पर शीध कार्यकार यहण करने के अनुदेशों के साथ कर्यकार मुक्त करने का कस्ट करें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देंगे। यदि नियुक्त व्यक्ति वर्तमान में आपके वहाँ कार्यरत नहीं है तो इस आपन को शीधातिशीछ संबंधित विद्यालय को श्रेज दिया जाना चाड़िए और इसकी लूचना इस कार्यालय तथा मुख्यालय को भी देवे।
- प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय PERAMBALUR को इस अनुरोध के साथ कि वेलियुक्त ट्वक्ति द्वारा इयूटी के लिए उपस्थित होने के पश्चात उसके कार्यभार ग्रहण करने की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को तत्काल भिजवाने का कष्ट करें। यदि वे निर्धारित तिथि तक उपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उसकी सूचनाइस कार्यालय को ई मैन द्वारा भेजी जानी चाहिए। यह नियुक्ति केन्द्रीय विद्यालयों के लिए बनी शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 46 के अनुसार प्रमाण-पत्री इत्यादि के प्रस्तुत करने की शर्त पर ही होगी। नियुक्त व्यक्ति को कार्यभार सहण करने की अनुसति तभी प्रदान की जाए जब उसके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाए तथा वांछित प्रपत्रों वितरण-पत्रोंको पूर्ण रूप से भरकर वे प्रस्तुत कर दे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछवा वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांगानेवहीन कोटे में नियुक्त व्यक्ति को भी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इस जापन के पैरा-४ के अनुसार अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा अथवा उसे कार्यभार बहुण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संबंधित प्राधार्य से यह भी अनुरोध है कि वे नियुक्त व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यताएँ।आयु इत्यादि से संबंधित मूल प्रमाण-पत्रों की मली-भांति जाँच कर स्वयं वह संतुष्ट हो जाए कि नियुक्त व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त हुआ है उस हेतु अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ/आयु उसके पास है।

उपायुक्त

Vidyalaya by 27.03.2019 this offer of appointment will automatically stand cancelled and no further correspondence will be entertained from him/her in this regard.

- Suppression of any information will be considered a major offence for which the punishment may extend to dismissal from the services.
- He/she will not request for transfer within three years of initial appointment or as per the transfer guidelines of Kendriya Vidyalaya Sangathan.
- 15. He/she has been allotted SOUTH zone.
- For subsequent promotion, the incumbent will have to acquire academic and professional degree from recognized University, as per rules and regulations applicable to KVS.
- 17. If he/she accepts the offer of appointment then he/she has to execute a Service Agreement cum Surety Bond in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan on the non-judicial stamp paper of the value as per State Rules to this effect that he/she has agreed to serve the KVS for a period of minimum 02 years from the date of joining which includes the period of probation including extended period if any. He/she shall agree to pay Rs.2,00,000/- (Rupees Two lakhs only) to the Kendriya Vidyalaya Sangathan if he/she commits breach of this agreement. This bond shall be executed at the time of joining of services of KVS and shall be submitted to the KVS through the Principal at the time of joining in the standard format (Standard Bond format is enclosed).
- 18. The following documents are to be submitted mandatorily to the KVS at the time of joining. The formats are enclosed alongwith this letter.
  - Service Agreement cum SuretyBond on non-judicial stamp paper of the value (Rs.100/-) as per State rules in original.
  - Character and Antecedents verification form along with 03 recent photographs.
  - Medical fitness certificate issued by the District Medical Officer or a Medical Officer of equivalent status.

iv. Acceptance of appointment offer.

v. Oath of allegiance.

vi. Statement of movable and immovable properties and liabilities.

(C. MANI)

DEPUTY COMMISSIONER

Encl. As above.

Mr./Mrs./Ms.HIRAMATI SAHU S/O (OR) D/O (OR) W/O.SH. JEEWAN LAL SAHU HOUSE NO.90, WARD NO.5, HIGH SCHOOL ROAD BEMETARA CHHATTISGARH - 491335

### Copy forwarded to:

- 2. The Principal, Kendriya Vidyalaya, PERAMBALUR The date of joining of the candidate may be intimated to the Regional Office concerned immediately after the candidate reports for duty. In case he/she does not join by the stipulated date, this office should be informed accordingly on e-mail. This appointment is further subject to production of certificates etc., as per Article 46 of Education Code for Kendriya Vidyalayas. The candidate be allowed to join his/her duties only after verification of the eligibility and educational qualification etc from their original certificates, and on submission of requisite forms/ statements duly completed in all respects. Those appointed under SC/ST/OBC/PH/Blind quota may be allowed to join duties only on production of original certificate mentioned in para 8 of the order. Principals are also requested to check the original certificates in respect of the qualifications of the appointee employees and satisfy themselves that the appointee possesses requisite qualification for the post he/she is appointed to.

DEPUTY COMMISSIONER

# Rohini, Avantika, Sector 1, No.2- GBSSS-1413019 Directorate of Education, Delhi (Govt. of NCT of Delhi) Joining Order

GESSS /No-2/Avt/Sec-1/RoH/637 dated 26-11-2018 (A/H)
Order No: DE.4/E-IV/Rect. PET/(P. Code-210/14)/2018/Pt.
File /1705-1717 Dated 23/10/2018

Appointment Date: 23/10/2018

Mr./Ms. MUKESH KUMAR MISHRA -20182763, has joined at Rohini, Avantika, Sector 1, No.2- GBSSS-1413019, as PET on 26/11/2018.

VICE PRINCIPAL/ HOS

Endorsement No.: DE.4/E-IV/Rect. PET/(P. Code-210/14)/2018/Pt. File /1705-1717 Dated 23/10/2018

### Copy Forwarded to:-

- (1)Employees Concerned
- (2)RD Concerned
- (3)DD Concerned
- (4)EO Concerned
- (5)AO (Estt./GOC) Concerned
- (6)AAO Concerned Accounts Branch
- (7)PAO Concerned
- (8)Schools Concerned
- (9)Incharge (Computer Cell), Dte. of Education
- (10)Concerned Employee's Personal File
- (11)P.S. To DE, Dte. of Education
- (12)PS To Secretary Education
- (13)Guard File
- (14) Services Department
- (15) Concerned Department

RAJVIE

VICE PRINCEPAL/ HOS G.B.S.S.S. No-2, Avantika;

Sec-01, Rohini, Delhi-85 School ID-1413019 Electronic Certificate No.: 182032778



# Stiversity Grants Commission Stiversion Stiversion Stiversion States of the State o

### NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

UGC Ref. No.: 32778/(NET-DEC 2018)

Certified that KISHOR KUMAR SAKET

Roll No.: CG0202502935



Sou Daughter of BODHAN SAKET

has qualified

the UGC-NET for eligibility for Assistant Professor held in DECEMBER 2018 in the Subject PHYSICAL EDUCATION

As per the information provided by the candidate, he she had not completed his her Master's degree or equivalent examination at the time of applying for NFT.

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of NET result, i.e., 5th JANUARY 2019. OR the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of Marks within two years from the date of declaration of NET result, i.e., by 4th JANUARY 2021. whichever is later.

This is an electronic certificate only, its authenticity and category in which the candidate bad appeared should be verified from UGC by the institution appointing authority. This electronic certificate can also be verified by scanning QR Bar Code printed on the electronic certificate.

validity of this electronic certificate is forever.

Date of Issue: 15-04-2019

Head NET Bureau

Note UGC has issued the electronic certificate on the bases of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as UGC is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for NET as laid down in the notification for UGC-NET.

ग्रेकेस

Their Potenticolito/motio. Fault and +(sureing) grammary (

thur it.

राधिव/धनश्चक/प्राधिकृत नियंत्रक वच्चनच्च गर्व्य पीठजीठ कालेज, कानपुर(२०६०)।

प्याक शिक्षी अर्थ-१(आस्त्रोम)/

/2017-18 विचाक 25/08/2017

विषय विद्यापन संख्या 46 में विज्ञापित यद असिस्टेंट प्रोकेसर के प्रति आयोग से चयनित अन्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुटि

महोच्य,

क्षणा अपने महाविधालय से अस्तिस्टेंट प्रोधांतर **सारीरिक विधा** वेतनकम 15600-39100 ग्रेड ये 6000 में दिक्त पद का लंदर्ग लें जो जां। स**शि किएन रिव्ह** की संवाधिपृतिः/भृत्यु/त्यागपथ/एकल स्थानान्तरण के कलस्वरूप रिव्ह रूप में उपलब्ध हैं।

2- वारार प्रदेश वश्यात्तर हिला सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यधालशोधित) के प्राविधानों के अनुसार वक्त पद के लिए आयों में अपने पन संख्या- वाविधात आयोग/275/2017-18 पिनांक 30/06/2017 द्वारा जिन अन्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हे संस्कृत किया है समने से आपने महाविधालय के असिस्टेट प्रोकंसर शारीरिक शिक्षा के पद पर नियुचित हेतु चलार प्रदेश उच्चलार शिक्ष नेवा आयोग (संसोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोजन अधियायन हेतु द्वेषित पद के प्रति चा 13(3) में शाविधानों के अंतर्गत निमाविधा अध्यक्षी का नाम प्रेषित किया जाता है।

मुपुषसता सिंह द्वारा राग गणन सिंह जीठएठडीठ सेक्सन सेण्ट्रल आफिस बीठएघठयुठ, वाराणसी।

जला संस्तुत अध्यर्थी के आवेदन की झायाधीत समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

- अत एतपद्वारा आपको निर्वेशित किया जाता है कि उत्तर प्रवेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा १४(१) के माविधानों के अपुरार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अध्या अध्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्पुति पत्र की मूल प्रति मश्तुत कारने वी लिथि, को भी पहले हो, से विलम्पतम अ दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यलय को भी पृथ्लांकित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार प्रहण करने के लिए संबंधित अध्येषी को प्रयोग समय (क्रम से कम 2) दिन) अवस्य दिया जार।
- क् लंबचित अधार्थी, प्रवच्यक द्वारा निर्मत नियुक्ति प्रथ प्राप्त नहीं होंने की स्थिति में उत्तर प्रयेश उच्चतर शिक्षा सेवा आखोप अधिनियम (प्रथा शंशोधित) 10 वर्ष धारा 15(1) को अन्तर्गत उपयन्त्रित समग्रान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रयेश, इत्ताहाबाद को अभिवार्थत शंशुचित करेगा।
- 8— वह भी स्थल किया जाता है कि निर्देशक द्वारा संस्तुत जवत अन्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्मत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा लेवा आयोग अधिनियम 1980 की चारा 15(1), (2), (3) के ऑसेरिंग्स उत्तर प्रदेश शच्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (प्रधा संशोधित) की चारा— 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विश्वव वारा— 50 की कार्यवाही हेतु बारान को संस्तुति कर दी जायेगी, पृहिषामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियत्रक नियुक्त कर विथे जाने पर इसका सम्पूर्ण तत्तरवाधित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
- विश्व किया करणों से अन्यर्थी द्वार अपना प्रकार निर्धारित अधिये में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आयेश निरस्त करने से पूर्व नियंशालय को एक सप्ताह के अन्यर विशेष वाहक के पाध्यम से रिथित स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आयेश निरस्त करने की अनुनित निर्वेशालय से अवश्य प्राप्त कर की जाव। जिससे आपको अन्य अध्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि तक्त पद के प्रति नियुक्ति को संबंध में माठ न्यायालय का कोई स्थान अंतरिय/अन्तिम बाब्यकारी आयेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निर्वेशालय को अवगत कराया जाय अन्यश्य की रिथिति में किसी प्रतिकृत कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन-व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणी के अपरिवर्तनीय होगी।
- प्रवचार्तत्र अन्य विक्रहे वर्ग एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के अन्यर्थियों की आसन-व्यवस्था करते समय नियुचित पत्र में सासनावेस संख्या- 22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गंधी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आवेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय:-

" यह नियुक्ति अनन्तिन है तथा आति/जमजाति प्रनाण-पत्र उचित मध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुशूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो के सन्यन्य में दावा हुठा है तो बिना किसी कारण बताये तथा हुठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए मारतीय दण्ड सहिता के प्राविधानों से अनार्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है से बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर वी जायेगी।"

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मोट -- ....

भवदीय

डा० (प्रीति गौतम) संयुक्त निदेशक(उठारीठ). कृते शिक्षा निदेशक(उ०शि०). उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृथ्वांकन संव : डिग्री अर्थ-1(आयोग)/ 1805-09 / उसी तिथि को। उक्त पत्र की प्रति निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- विशेष संचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, लखनक।
  - प्राचार्य, दयानन्द गर्ल्स पीठजीठ कालेज, कानपुर(उठप्रठ)।
  - संबंधित अभ्यर्थी को इस मनावा के ताथ प्रेषित कि वे कृपया :--
    - (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरना सूचित करे।
    - महाविद्यालय के प्रवन्धतंत्र से सम्पर्क कर शीधातिशीध अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना
    - (ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप उक्त नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन-व्यवस्था पर पुनः विधार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण
- 4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।

5— संचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०४०, इलाहाबाद।

डा० (विनीता यादव) सहायक निदेशक(उ०शि०). क्ते शिक्षा निदेशक (उ०शि०). ्रिच०प्रव, इलाहाबाद।



### Gauravendra Swarup

Secretary, Board of Atanagement Dayanand Girls College

15/96, Civil Lines, Kanpur - 208 001

EPABX (0512) 2305646, 2305648, 2305570 • Fax: 0512-2303111

E-mail vsel1989@gmail.com

दिनाकः 12 सितम्बर 2017

सुश्री कुमुद लता सिंह पुत्री श्री विद्याशकर सिंह प्रतापपुर, पुरुषोत्तमपुर, चुनार जिला मिर्जापुर

महोदया

आपकी नियुवित दयानन्द गर्ल्स कालेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर-शारीरिक शिक्षा के पद पर एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर की जाती है। यदि आपका कार्य संतोषजनक न हुआ तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष और बढ़ायी जा सकती है। आपको शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान 15600-39100 (ग्रेंड पे0- 6000) यथासंशोधित के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य महगायी भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। उवत आदेश शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के पत्रांक- डिग्री अर्थ-1/आयोग/1805/2017-18 दिनांक 25-8-2017 द्वारा की गयी आसन व्यवस्था के तहत निर्गत किया जा रहा है। आपकी नियुक्ति महाविधालय में डॉ० शिश किश्ण सिंह के दिनांक 30-6-2013 को सेवानिवृत्ति से रिक्त पद के प्रति अनुमन्य की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के अंदर महाविद्यालय की प्राचार्या के समक्ष उपस्थित होकर अपने कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायें। आपको कार्यभार ग्रहण करने की तभी अनुमित दी जायेगी जब आप कार्यरत संस्था से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगी।

( गौरवेन्द्र स्वरूप ) सचिव-प्रबंध समिति

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।

4- प्राचार्या, दयानन्द गर्ल्स कालेज, कानपुर।

5— कार्यालय अधीक्षक / लेखाकार / वेतन लिपिक, दयानन्द गर्ल्स कालेज, कानपुर।

(गौरवेन्द्र स्वरूप) सचिव-प्रबंध समिति Ref. No.: SET-2019/6807411768/ST/0907

Roll No.: 133468062 CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, NAYA RAIPUR

COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



### SET EXAMINATION 2019

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi) (Valid in the State of Chhattisgarh only)



Son/Daughter/Wife

pytitied that	ertified that	LOKESHWARI	BHANDAR
---------------	---------------	------------	---------

has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)

of SOMNATH

Examination 2019 held on September 08, 2019 for eligibility for the post of Assistant

Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant

Director (Physical Education) in the Universities in the subject PHYSICAL EDUCATION

The date of qualifying SET is June 24, 2020 which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through vyapamcgstate.gov.in. This electronic certificate can also be verified by scanning QR. Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : 10/11/2020

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Naya Raipur

### NOTE

- a) CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate with the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
- Wherever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant b)
- documents of this category.

  Wherever PWD is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities c)



### कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा समाग—दर्ग

From Farm of months du gd. u.m. Phone: 6786-2962296 K-mail: jedong Mingmakasan

### / with / fixes / white will / deed / 2025 / 25725" :

दुर्ग दिमाक 24/08/2021

### //anter//

स्वतीयगढ स्थापन स्वापन दिवार विभाग संभागम स्थापन स्यापन स्थापन स

35.83.	अन्यवी जा नाम पूर्व विसाद्भाति सा संज	नारा को	98	प्याकित साला का नात	संदर्भ संदर्भ
4	2	- 1		4	市
13061031	LUBERHWARETRO MESCATH	SIT.	, AMADULA PORT- SOMATCLA, PIN CODE- 4918M, DISTRICT- Rapostypos, CHMATTISGARM	का व माजात विकास भारतीयः विकासकारक- वीमसमाद्यः विकास- सावनीयशीवः	CA

### प्रपर्शेका नियुक्ति निम्माकित हार्य के क्योग होगी :-

 व्यानित क्रिक्षण १८ सिताबर 2021 तक प्रयोकित माना में कार्यभार व्यान करेंपे। निर्वासित क्रिक्ष सक्ष कार्यभार प्रक्षण च मध्ये पर यह आयेश श्रामेश विश्वत महन्त जामेगा ।

वार्यभाव प्रश्न न करने पर यह कारत पर वह कारत न कार्यभाव में दूसलावेजों के मिळान के व्यवस्थ संध्येत वार्यभाव स्थानित विकास समित कार्यभाव के दूसलावेजों का पितान करायेंगे, त्यूनपर्वत की प्याचिक वारत में कार्यभाव प्रश्न कर के विकास को वार्यभाव प्रश्न करने के दिनांक को वी प्रश्निक वार्यभाव प्रश्न करने के दिनांक को वी प्रश्निक वार्यभाव प्रश्न करने के दिनांक को वी प्रश्निक वार्यभाव वार्यभाव प्रश्न करने के दिनांक को वी प्रश्निक वार्यभाव वार्यभा

भाग से कार्यभार करण माना जायेगी। भाग, जासम, विसा विभाग प्राप्त प्राप्त किया निर्देश 21/2020 दिशांक 20072000 एवं अधिकृत्यन दिशांक 20072020 के अनुसार सीमी भागे के वर्षों पर कार्यभा सम्मानीय सेक्टरे को तीन वर्ष की

परिशोध कार्या में निम्मानुंदर्ग स्टायपेन्स हैं में होगा— प्रथम कर्ष — एक पद के विकासन के जुनतम का 70 प्रतिकात द्वितीय क्षे — यहा पद के विकासन के जुनतम का 30 प्रतिकात कार्याय वर्ष — यहा पद के विकासन के जुनतम का 30 प्रतिकात

पुरित् वर्ष — यस पद वर वातन्त्रान के न्यूनान का अप्रश्नात है। अपना क्षेत्र की साह अपने हिंदी। प्रतिक्रिया कार्य में करायमंत्र के पता अन्य माने सातालीय केवत की साह अपने हिंदी अपने के पद पर निवृद्धित तीन वर्ष की प्रतिक्रिय पर तथा अध्यापी केवी। प्रतिक्रिय अपने की साध-आधापूर्वण पूर्ण म सरने की पता में प्रतिक्रिय प्रतिक्रिय अपने के साध-अध्यापूर्वण पूर्ण म सरने की पता में प्रतिक्रिय प्रतिक्रिय अपने के साध-अध्याप्तिक पूर्ण म सरने की पता में प्रतिक्रिय प्रतिक्रिय अपने के साध-अध्याप्तिक पूर्ण म

पूर्व तक नदाई जा सकती। अत्य आतंक स्थाल दिवस विभाग की अधितुम्ता दिनात तक मार्थ आतः भी जावन ह की प्रम वाकिता (ह) के अनुसार तेना में सीकी नहीं के नपनियुक्त दिवस ई (एस.मी.) दी (सब.मी.) सर्ज भी परिशास सुनों में अधिन होती।

## कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

PH ONE HUMBER - 07774 - 230236 EMAS ID - ndv.ld.surgus de armell com

## **६**० आदेश ०८

अम्बिकापुर दिनांक 10/12/2021

क/स्था.2/शि.मर्ती/(I) Teacher (Physical Education)/(I)/2020/6121 छत्तीसगढ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ,महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं 1103/2019/20—दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ रायपुर के पत्र क्रमांक /स्था/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422—पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भयन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12—22/2020/20—दो नवा रायपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु छ ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक— 21-Nov-19 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत Teacher (Physical Education) के पद पर आपके द्वारा कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मेंट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं 03 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है।

रोल नं./अभ्यार्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/वर्ग	पता	पदाकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4
13101194 MALA, FATHER - TULSI RAM CAT OBC	H.NO BICHPARA, STREET- SALORA, CITY- SALORA, POST- KATGORHA, TEHSIL- KATGORHA, DIST KORBA, (CHHATTISGARH)	NAME OF SCHOOL- Higher Secondary School RAGHUNATHNAGAR, BLOCK- WADRAFNAGAR, DISTT BALRAMPUR- RAMANUJGANJ	OBC_F

### उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- 1. नियुक्त शिक्षक 28 दिसम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा। नियुक्त शिक्षक दिनांक 28 दिसम्बर 2021 के पूर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्राप्त कर पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्य भार ग्रहण माना जायेगा।
- छ.ग.शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अविधि में निम्नानुसार स्टायपैन्ड देय होगा:—

प्रथम वर्ष— चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष— चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत तृतीय वर्ष— चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत्

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपैण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परियीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढाई जा सकेगी।



 छ ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नव नियुक्त शिक्षक, ई (एल.बी.) / टी (एल.बी.) सवर्ग की वरिष्ठता सुवी में शामिल होगें।

नय नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता सभागीय अंतिम चयन सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों का पालन किया

जावेगा।

 यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ—पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनहं/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

 नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी /प्रमाण पत्र एव दस्तावेज यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के

प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेंगी।

 नव नियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अविधे ,स्थाईकरण, यरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शतें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगा।

 उपरोक्त नियुक्त शिक्षक की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवं जमें एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में यदि यह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितना अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भक्ते का भुगतान करना होगा।

9 प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति

व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।

10. पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की

सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

- 11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नही होगी । इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेत् आवेदन स्वीकार्य
- 12 नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- उपरोक्त नियुक्ति आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका WP(S) 1091/2020. WP(S) 3005/2021,WPPIL 29/2021, WP(S) 3036/2020, WP(C) 591/592/593/594 वर्ष 2012, WP(S) 2502/2021, WP(S) 2507/2021, WP(S) 2536/2021, WP(S) 3781/2021, WP(S) 1991/2021, एवं WP(S) 2331/2021 तथा किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगा।

14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत "अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र / कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेंगें।

संगागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शिक्षा सरगुजा ,अम्बिकापुर (छ.ग.)

### पृ.क / स्था.2 / शि.भर्ती / (T) Teacher (Physical Education) / (1) / 2020 / 6122 अम्बिकापुर दिनांक 10 / 12 / 2021

प्रतिलिपि-

 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग , मंत्रालय महानदी भवन , अटल नगर को सादर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन , अटल नगर की और सादर

सूचनार्थं।

आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
 महालेखाकार, छत्तीसगढ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

संचालक कोष, लेखा एवं पेशन , इन्दावती भवन ,अटल नगर को सूचनार्थं।

7. समस्त कलेक्टर, सरगुजा संभाग, की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा सभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास , सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।

11. प्राचार्य डाईट, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।

12 समस्त जिला कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी, सरगुजा सभाग को सूचनार्थ।

13. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा सभाग को सूचनार्थ एवं चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनाक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमित प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो। चयनित शिक्षक के पदांकित संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराते हुए अभ्यर्थी को मूलतः संभागीय कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

14. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./हाईस्कूल, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे। चयनित शिक्षक के पदाकित संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराते हुए अभ्यर्थी को मूलतः संभागीय

कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

15. समस्त प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला , सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16. संबंधित श्री / श्रीमती / कुमारी-mala, H.NO- ,STREET- SALORA, CITY- SALORA, POST- KATGORHA, TEHSIL- KATGORHA, DISTT.-KORBA, CHHATTISGARH को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

17.कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शिक्षा सरगुजा ,अम्बिकापुर (छ.ग.) प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक. झांसी।

सेवा में.

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करगुवॉ,झांसी।

पत्रांक /मींठ /मा० /

/2017-18

दिनांक- 18 09-17

विषय:-विज्ञापन सं0 01/2013 के सापेक्ष मा0शि०से0च0बो0 नियमावली 1988 के अनुसार नियम-12 उपनियम (8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा 01 के पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों के पैनल नियम-12 (II) के अधीन प्रेषण।

महोदय.

उपर्युक्त बिषयक सचिव, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक / मा०शि०से०च०बो० /चयन पैनल / 4692-94 / 2017-18 दिनांक-31.08.2017 के द्वारा आपके विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम में नियम-12 उपनियम (8) तथा 10 के अधीन निर्मित हाईस्कूल में शारीरिक शिक्षा विषय पर चयन किया गया है तथा सचिव, मा०शि०च०बो०, इलाहाबाद के पत्रांकः मा०शि०से०च०बो०/चयन/4894/2016-17 दिनांक-08.09. 2017 द्वारा सत्यापन प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त नियमावली के नियम 13(1) के खण्ड (क) (दो) तथा (तीन) के अधीन आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करते हुए, नियम 13 के उपनियम (2) (3) के अधीन यथा स्थिति अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें, चयनित अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को भली-भांति जांच करते हुए, 10 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही करें, यदि विद्यालय में विज्ञापित पद के प्रति किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिये गये हो तो

उनका परिपालन अवश्य किया जाये।

क्र0 सं0	चयनित अभ्यर्थी का नाम व अनुक्रमांक	पता	यदनाम/ विषय	जाति	चयनित संस्था क नाम
4	2	3	4	5	6
1	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह अनुक्रमांक-021600663	ग्रा० चकसलेम, पो० फतेहपुर जिला गाजीपुर पिन कोड–284135	प्रशिक्षित स्नातक, शारीरिक शिक्षा	पिछड़ी जाति	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करगुवां, झांसी।

कृपया पत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करें, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाये कि चयनित अभ्यर्थी को समय के अन्तर्गत अवश्य ही कार्यभार ग्रहण कराये, कार्यभार ग्रहण न कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध तंत्र का होगा, कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय.

डा0(नीरज कुमार पाण्डेय) जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी।

तददिनांक-पुष्टांकन सं0/ 4164-69 /2017-18 प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र०, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

सचिव, उ०प्र०,माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी मण्डल झांसी। उप शिक्षा निदेशक(मा०)झांसी मण्डल झांसी।

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह, ग्रां० चकसलेम पो० फतेहपुर, जिला गाजीपुर। (पंजीकृत)

झार्णारज कुमार पाण्डय। जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी।

# उचतर माध्यमिक विद्यालय करगवां चिरगांव (झॉसी)

प्रेषक

प्रबन्धक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगवां चिरगांव(झॉसी) भ श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह ग्राम—चकसलेम पोस्ट—फतेहपुर जनपद—गाजीपुर उ०प्र० 284135

पत्रांक :- 320-325/2017-18

दिनांक :- 19/09/2017

बिषय: - उच्चतर माध्यभिक विद्यालय करगवां (झाँसी) में रिक्त प्रशिक्षित स्नातक वेतनकम में सहायक अध्यापक विषय शारीरिक शिक्षा के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति पत्र ।

महोदय.

जिला विद्यालय निरीक्षक झाँसी के पत्रांक /मो०/मा०/4164-69/2017-18 दिनांक 18/09/2017 एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन वोर्ड इलाहावाद के पत्रांक /मा०शि०सेवा०च०वो/चयन पेनल/4692-94/2017-18 दिनांक 31/08/2017 के द्वारा प्रशिक्षित स्नातक वेतनकम में नियम-12 उपनियम(8) तथा 10 के अधीन निर्मित हाईस्कूल में शारीरिक शिक्षा विषय पर आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगवां (झाँसी) में चयन किया गया है। तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन वोर्ड इलाहावाद के पत्रांक/मा०शि०सेवा०च०वो/चयन/4894/2016-17 दिनांक 08/09/2017 द्वारा सत्थापन प्राप्त हुआ है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों के अन्दर अपने सभी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी मूल प्रमाणपत्रों के साथ विद्यालय में उपस्थित होकर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर विषय शारीरिक शिक्षा के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करे।यदि आप उक्त अवधि में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करते है तो यह माना जायेगा कि आप उक्त पद का कार्य करने के इच्छुक नहीं है।जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी जायेगी

जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा।

शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंकपत्रों एवं प्रमाणपत्रों में किसी भी स्तर पर यदि कोई कमी पाई जायेगी तो आपका नियुक्ति पत्र स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

भवदीय

# अपर्पट्र (हरदास नरवरिया)

प्रबन्धक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगवां (झॉसी)

पृष्ठांकन सं0/

/2017-18

ता दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन वोर्ड 23 एलनगंज इलाहावाद।
- 2-शिक्षा निदेशक माध्यमिक 18 पार्करोड लखनऊ।
- 3-सयुक्त शिक्षा निदेशक झॉसी मण्डल झॉसी।
- 4-जिला विद्यालय निरीक्षक झाँसी।
- 5-वित एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक) जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय झॉसी।

(हरदास नरवरिया)

प्रबन्धक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगवां (झॉसी)

विषयं - शा अस्तर के पर पर कार्यास्का करने

विषम: - शा । अद्भव के पर पर कार्यश्रम् करबोन के

समेज्य,

अपरोक्त विभगनाति निवेदन है फि श्रीमान जि.शि.श्र-(मा-) अलवर श्रे आदेश अमांछ जिनिश्च आप /अल /संस्था-।

फा श्रा की निग्रास्त - 213 / 2016 / 854 दिनाँ क ०६-०६-१६
की अनुपालमा में स्थानीय विश्वालय में ज्ञा । अक्षेत्र के पढ पर निम्रास्त्र आदेश आरी किया असा है /
अल्ल अस्त आदेश आरी किया असा है /
अल्ल अस्त आदेशानुसार आज दिनाँक 11-०६-२०16 मधान्द्र प्रव विश्वालय में उपाश्चिति की है |
अतः श्रा अक्षेत्रक पर पर कार्यग्रहण करवाने की स्था

संकान क्वी —

1) 10 वी भावता किवा रवे अमान पन प्राति

2) 12 वी भावता किवा रवे अमान पन प्राति

3) G-Se I. II III "वर्ष अवता किवा प्रति (मणान पन

4) B-P.Ed अम्बा किवा एवं प्रमान पन

5) M-P-Ed अम्बा किवा एवं प्रमान पन

6) न्यारेन प्रमान पन (प्रात्व अवी अद्या स्था)

6) स्वेल प्रमान पन (प्रात्व अवी अद्या स्था)

7) स्वेल प्रमान पन (प्रात्व अवी अद्या स्था)

8) आहेश की प्रति


मि बास कुतान पत्र

र्याजीन हिंड ६/० भी दबरि निंड

थाम - पक्सलेम यो - फतेरपुर (अस्ता) शिंका - गामीपुर (३:पुः मिन - २ ३३००।

### ভাইনা বিনা টিক অভিনাতি কান্ত্ৰিক কান আনগৰ বাটোকৈ অধিকাৰ কৰুইবাৰ্ড (কি-আ আইম বাক্তা-ত

	-			WIEW HINE-S	-	a-05	w	4	TOWNS NOT	- mm	MAN .	
	-	leftest Media	nn and/fee at an	wed on			-		manerili	Dhand		N.
13	1	344	DEVENDER SINGHY RAMMINAS	विभाग संस्थान स्था नीवनागाः विभाग सम्बद्ध	-	100/02/1	-	-	स्थाप्यात्त्रः स्थाप्यात्त्रात्त्रः	-	non.	
2	1	248	ANDOP SINGRY DAYA RAM	हाम चीनट कामपुर अकिए, राष्ट्र. कुण्याचर, विकास-अञ्चय	BC	-	1966		अ आर्थ कर्या	2 1000	CAUTANUT	复
3		396	HARD DUTT VASHISTRA!	et-ton, got flerit, stotet	GE	1000	-	_	प्रथम कर्तन	tu	400	8
A	9	423	BILLU RAMA/ CHAMPAT	का सम्बोदपुर चेठ स्टीपुरीवाम गड्य सीमारत रिट्टर क्यांकर	ac.	10000	-	200	w posterit the		moter	I
5	30	515	STENDRA KUMAN/ SUDH KAM YADAV	दान गोणपपुर, पोन्ट आपूर्वास. ११७-व्यापेस जिल्ला आवर्थ	1K	-			unarreserft.			li
60	11	522	HARIMCHAN SAINLY MURLI MANCHAR SAINLY	भोतास्था खीरण, स्त्रीत में र स्थान संख्या-तर से पास, अलय	HC HC	04/0	2/1982	GEN	M DOMOBORIO		Agrain	
7	12	525	HAMPET SINGH/ DALSINGAN SINGH	गांव चळपालेग, पोस्ट पर्राटपुर (अटमा) जिल्ला-गाजीपुर वास्तरपूर्ण	GI		DT/198	-	10000	बान	MANGARIN	
	13	529	MANGI EUMAA/ NATHU RAN	पात सहस्रात चेत्रत मालवातं,		C 10	12775	79 04	LAM SISCORE		Kokasm	
,	24	557	GURDREF SINGH/ MAHENDA	पान क्षेत्रसंग्रहास वीवट काल्युर पान क्षेत्रसंग्रहास वीवट काल्युर	m.	K 3	1/99/1	994 6			Kokasm	
10	15	587	GANGASAHAY YADAV/ SHIV	शाम बमानुता तीवा तामनुगर एक कटूबर, जिल्ला प्रसारत	1					MINER		Į.
11	16	681	DHISENDRA KUMAR/ BOHTASH SINGH	गांद व बारा तुन्तान विश्वत बालवा राज्य प्रतासकेल	+	GE .	_	-	10.0	स्टर्न कर	ACCUPATION OF THE PARTY OF THE	1
12	17	704	UDAI SINGH/ MANCHAR CA			sc.	-	_	GENM WIR	en coude do		1
-		100	UMESH KUMAR SAINI/	र्वेद्याला स्त्रीहरा, प्रकीय-१. भ-का से पाल, जानकर	HER	BC.	4000		GENM SE	rat.		1
13	18	711	RADHET SAYAM SAIN! HUNUMAN SAIGH TADAY/	are shouther the widt	斑斑	BC.	osn	127139			athird Libra	
14	19	720	HARD SINGH YADAY	क्षेत्रक प्रियं अस्ति कर क	entit.	10	500	02/29	and otherwise to	त्वात्रमार्थे सम	All Spends	
13	20	725	MUKESH CHANG SHARMA GENDA LAL SHARMA	gast			-	man	NO GENM	needl	tests line	
15	21	257	SUNIC KUMAR MAHALA/ MAMRAI SINSH	क्षण <b>हन्दर्</b> मुक्ता अनुसर क्षण नव	_	86						
17	23	765	CAMPRAKASH VADAV/	व्या क्षेत्र हेश्य जाते। शक्त स्वत्याच्या राज्य		1	-1			1	the section to	_
18	24	274	ANSAD KUMAR SHARMA	Salar Line	_	+	12	-	-	+	out sprint To	
19	25	775	PRINCEPT/ SALA	15.51	8.01		K	1		1	ment mela	-
	26	780	AKASH KUMAA/ ANII, VER	MA WERNEST TOTAL	ধশ্বি ব	236	GL	ST	CHILDREN G	DIAM O	seeds wit	1.0



### कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ IARBHAR.email:-bsp.id18@gmail.com, phone No.07752-493695, www.ideducationbsp.webs.com

### आदेश

क./स्था.3/व्यायाम शिक्षक/ई संवर्ग/2591/2021/

विलासपुर दिनांक-24/08/2021

छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र कमांक एफ आर नं 1103/2019/20—दो नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.03.2019 के द्वारा शिक्षकों के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, खण्ड तीन— प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर क./स्था.02/सीधी भर्ती/65/2020//355/ नवा रायपुर, दिनांक 21/09/2020 के अनुकम में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत व्यायाम शिक्षक के पद पर सातवें वेतनमान 9300—34800 वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में व्यायाम शिक्षक ई संवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 05 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है:—

रैंक/रोल अभ्यर्थी का नाम नं. पिता/पति का		पता	जाति वर्ग	पदांकित शाला का नाम	चयनित	संवर्ग
1	2	3	4	5	6	7
517/ 13091192	RAVI KUMAR, FATHER - PARDESHI	HOUSE NO- 156 STREET- BHATHA PARA CITY- MUDPAR POST OFFICE- MUDPAR DIST-Bilaspur STATE- CHHATTISGARH PINCODE-495550	sc	यू डाईस — 22070310907 शाली का नाम— शास.उ.मा. शाला भरारी विकासखंड— बिल्हा, जिला— बिलासपुर	sc	

### उपरोक्त नियुक्ति निम्नाकिंत नियम एवं शर्तों के अधीन होगी:-

- नियुक्त शिक्षक 10 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
   निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- नियुक्त शिक्षक संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्वातेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।
- छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार परिवीक्षा अविध में निम्नानुसार स्टायपेंड देय होगा—

प्रथम वर्ष — वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष — वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत तृतीय वर्ष — वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

4. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त ई संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे। नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित किया जायेगा।

- 5. शिक्षक द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ—पत्र के आधार पर नियुक्ति अस्थायी रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनहर्ता/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- 6. नव नियुक्त शिक्षक द्वारा दी गयी जानकारी/ प्रमाण पत्र यदि गलत पाये जाते है तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- नव नियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अविध, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
- 8. नियुक्त शिक्षक की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमित के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना सूचना दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या सूचना अविध में से जितनी अविध कम हो उतनी अविध का वेतन का भुगतान करना होगा।
- 9. शिक्षक सीधी भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ।
- पदांकित शाला में कार्यमार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- 11. शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अविध में स्थानांतरण की पात्रता नही होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
- 12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- 13. शिक्षक पद पर नियुक्ति माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका कं. wps 1081/2020, wps 3005/2020, wps 29/2021,wps 4034/2021, एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं में पारित आदेश के अध्याधीन होंगी।
- 14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा से त्यागपत्र/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था मे कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(आर.एस.चौहान) संयुक्त संचालक ब्रिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ

### प्रतिलिपि-

 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग्. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।

2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

अटल नगर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।

 सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. को सादर सूचनार्थ ।

 आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।

महालेखाकार, विद्यानसभा रोड, जीरो पाइंट छत्तीसगढ,रायपुर को सादर सूचनार्थ।

- संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर , नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

समस्त कलेक्टर बिलासपुर संभाग को सादर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर /दुर्ग/बस्तर/सरगुजा को सूचनार्थ।

 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

समस्त कोषालय / उप कोषालय अधिकारी, बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

12. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

 संबंधित प्राचार्य / प्रधान पाठक शास. ज. मा. शाला भरारी वि.खं बिल्हा जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

14. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री- RAVI KUMAR, FATHER- PARDESHI को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

15. कार्यालय गार्ड फाईल हेतु।

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

### नवोदय विद्यालय स

(विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक स्वायत्त संस्थान) मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्प्री ठाक्र सदन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर ब्लॉक-ए और ब. 5वीं मंजिल, आशियाना दीघा रोड. पटना - 800025

द्रभाष : 0812-2579920/2271092

F 4-3/P& E/NVS(PTR)//2021/ 6007



### NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

(An Autonomous Organisation under Deptt. of School Education and Literacy) Ministry of Human Resource Development. GOVT. OF INDIA

Regional Office, Karpuri Thakur Sadan, Kendriya Karyalay Parisar, Block - A & B, 5th Floor, Ashiyana Digha Road, Patna - 800025.

Tel: 0612-2579920/2271092 Fax: 0612-2268085

Dated: 11 .10.2021

E-MAIL

To.

Sh. Rashi Verma (Roll No 38169200016) 870 Sh K.K. Verma

Vill- Mirdaspur, Po- Kurebhar Dist Sultanpur Pin 228151 (U-P) Mobile No 7987626737

Appointment to the post of P.E.T(Male) on direct recruitment basis under Sub: Recruitment Drive- July 2019-Reg

Sir/Madam,

Consequent upon your qualifying the written test followed by interview and select list published on the Samiti's website, you are hereby offered a temporary post of P.E.T (Male) in Navodaya Vidyalaya Samiti on the following terms and conditions.

 Your initial pay in Level 7 of the Pay Matrix of CCS (Revised Pay) Rules 2016 notified by the NVS Hqrs. Noida vide Samiti's notification No. 20-1/2017-NVS(Admn)/1739 dt. 21.07.2017 will be fixed in accordance with the normal rules and you will also, in addition, be eligible for the usual allowances admissible under the rules and orders of the organization in force from time to time.

You will be initially on probation for a period of two years from the date of your joining which may further be extended at the discretion of the competent authority. You will also have to undergo such training programme and other courses, as Samiti may prescribe, during the period of your probation. Successful completion of your probation is subject to the successful completion of aforesaid training programme/courses. Failure to complete the period of probation to the satisfaction of the competent authority will render you liable to discharge from service. Further during the period of probation your service can be dispensed with by the Samiti without assigning any reasons. While on probation, you will be required to give one month's notice of resignation in case you leave the Samiti.

3. Jawahar Navodaya Vidyalayas being fully residential institutions, the teachers are required to stay in the Vidyalaya campus. In addition to normal teaching duties, the teachers are required to perform additional responsibilities attached with residential system like House Mastership, remedial and supervisory studies, organization of cocurricular activities, escorting of students on

migration and in general looking after students welfare. During the period of probation your performance in all these areas would also be assessed in addition to teaching ability to determine your suitability for the job.

 There will be Zero Tolerance Policy in so far as sexual abuse and corporal punishment of students by employees is concerned. Any violation of this policy shall be dealt with in the strict possible manner. Apart from it, you will maintain a vigilant outlook and convey your apprehension or knowledge of sexual abuse of any student, if any, by anybody to the appropriate authority in the TIVS at the earliest. You will be liable to sign a document describing the policies and procedures of the school to demonstrate understanding and agreement regarding while FRRE REFERRERS AND TRANSPORTED TO THE PROPERTY OF teacher at the time of joining.

5. You will not be entitled for any traveling allowances for joining the place of your posting.

6. If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks or more at the time of acceptance of appointment as a result of medical test, she will be declared temporarily unfit, the offer would be treated as withdrawn for the present and would be kept in abeyance until the confinement is over. She should indicate the expected date of her delivery. medically re-examined and if declared fit six weeks after the date of delivery, her appointment would be renewed subject to production of medical fitness certificate from CMO. In case the candidate fails to comply with these instructions her candidature would not be considered and no further correspondence would be entertained in this regard from her. On production of medical fitness certificate, she would be appointed to the same post.

7. Your appointment will be subject to your being medically found fit by the Civil Surgeon/CMO of the District for appointment to the aforesaid post. This offer of appointment will be automatically treated as cancelled if you are not found medically fit. You are, therefore, required to produce your medical certificates of fitness from the Chief Medical Officer / Civil Surgeon at the time of joining. Medical Certificate from any other authorities will not be accepted.

8.On joining the post you will be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India and make a solemn affirmation to this effect in the enclosed form.

9. The appointment will be further subject to the submission of a marital declaration in the form enclosed and in the event of your having more than one spouse living, the appointment will b: subject to your being exempted from the enforcement of a requirement in this regard.

You shall declare your home town immediately on your joining the Samiti.

11. The appointment carries the liability to serve in any part of India. Further, One Mandatoix tenure in North East Region and / or other Hard/Very Hard station is compulsory.

12.Other conditions of service will be governed by the relevant rules and orders in force from time to time in the Samiti.

13. You shall have to produce the following certificates in original along with attested copies thereof to the Principal of the Vidyalaya concerned at the time of joining:

a) Post Graduation/ Graduation Degree/Diploma Certificate of Educational qualifications as per eligibility.

b)Secondary School Certificate issued by the Board indicating your date of birth.

cymemorgidum of marks at two years has beforeathen and these years of methodesian degrees

d)Discharge Certificates/relieving order from previous employer, if any.

e)Scheduled caste/Scheduled Tribe Certificate/OBC/EWS certificate if applicable (in original) for verification.

f)OBC candidates must submit requisite certificate in the revised prescribed OBC certificate format enclosed herewith in accordance with the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public grievances & Pensions, Department of Personnel & Training OM No.36036/2/2013-Estt.(Res.) Dated 30.05.2014 from the District Magistrate/ Deputy Commissioner, clearly indicating therein the Resolution No. and date of Ministry of Social Justice & Empowerment by which the caste/ Community of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate of Ministry of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate of Ministry of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate of Ministry of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate of Ministry of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate of Ministry of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate of Ministry of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate of Ministry of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate of Ministry of the

g) Candidates selected under EWS category must produce the EWS certificate (in prescribed format) issued by the Competent Authority after cut off date of recruitment drive July 2019 (i.e. 09.08.2019) "Valid for year 2019 or 2019-20".

h)Medical certificate in r/o. Physically Handicapped (OH,VH) as per the Govt. of India orders.

i)Attestation form in duplicate (copy enclosed) duly filled and attested.

j)Details of family

k)Any other certificate (like experience, participation in National Level sports etc.) in original in support of entry made by you in your application.

14.If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to be removed from services besides such other action as Samiti may deem necessary.

15.This appointment is subject to satisfactory report on verification of your character and antecedents by the District Magistrate of the district you belong. In case of any adverse report, your service will be terminated immediately.

16. Candidates should submit valid ID proof (Aadhar/Driving Licence/ PAN etc.).

17. The candidates having been posted at Hard or Very Hard Stations (H/VH as notified by NVS) shall have the priority to become eligible to seek transfer on request after completing the prescribed tenure of 3/2 years as applicable at such stations while all others will be governed by other case specific rules / provisions of NVS transfer policy.

18. The service matters of the employee will be in the jurisdiction of the concerned Regional Deputy Commissioner being the appointing Authority.

19. As the JNV allotted is final, no request for change in place of posting will be entertained under any circumstances. If any such request is made by the candidate concerned, it will be presumed that he/she is not interested in joining to the offered post and offer of appointment shall stand withdrawn automatically. In case you accept the offer on the terms and conditions contained in this letter, you should report along with all original certificates and attested copies to the Principal JAWAHAR NAVODAY. VIDYALAYA, PLACE:- PIPRAKOTHI, P.O.:- PIPRAKOTHI, DISTRICT:- EAST CHAMPARAN, STATE-BIHAR, PIN-845429, on or before 25.10.2021 failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled. No extension will be granted in joining time under any circumstances and no further correspondence in this regard will be entertained. As the Vidyalaya allotted is final no request for change of place of posting will be entertained.

This offer of appointment is provisional and is subject to verification of the documents and eligibility as per the recruitment rules and the advertisement of the Samiti by the Vidyalayst concerned.

Yours faithful!

(M. MARIAPPAN ) DEPUTY COMMISSIONER

Encl: As above.

### Copy to:

1. The Principal, JNV, Dist: East Champaran (Bihar) with the request to send the joining report of the said candidate/official immediately by mail. However, before allowing to join the said candidat it will be the sole & personal responsibility of the Principal for verification of the eligibility of the candidate as per Recruitment Rules to examine the documents as mentioned in Para 13 of the letter i.e. age, educational qualifications, percentage of marks, subject combination, experience, SC/ST/OBC/EWS/ differently abled certificate and other eligibility criteria for the said post. If there is any discrepancy, the candidate may not be allowed to join and the case may be referred back to RO. The original application of the candidate is enclosed.

The Deputy Commissioner (Pers), NVS(HQ), Noida — W.r.t office letter no. 1-9/2019-NVS(Estt-I)/TGT(V.III)-Misc.(Vol.II)/19781 dated 29.09.2021 - for information.

DEPUTY COMMISSIONER

## कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,

### लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अभ्विकापुर (छत्तीसगढ़) DATE AND WINDS - 0.057 - 10.051 FIRST - 10.051 FIRST - 10.051 FIRST - 10.051

### त्ब्रक्रआदेशत्ब्रक्र

अधिकापुर दिनांक 07 फरवरी 2022

शासन रुपहुल शिक्षा जिमान मंत्रालय ,महानदी मदल अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमाक एक आर न अवधि पर, शिक्षक शुरीय श्रेणी सातवें वेतनमान के **वेतन मेट्रिक्श लेवल os** के पद पर नियुक्त करते हुए उनके आपके द्वारा कार्य भार चहन करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिशीक्षा अनुसार सूची के सरल ळमांक । पर दर्शाए अनुसार Teacher (Physical Education) Cader-T के पद पर व्यापन द्वारा जारी परीक्षा परिचाम दिनांक 21 नवम्बर 2019 की वरीयता के आधार पर अनुपुरक सूची से आपके विज्ञापन जारी किया गया था। छ.ग.शासन स्कूल सिक्षा विभाग मंत्रातस्य, महानदी भवन नवा रावपुर के पत्र क्रमांक एक 12—22/2020/20—दो नवा रावपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदी हेर्चु छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमाक /स्था/विज्ञापन/सीकी मती/2019/422-पीए अटल नगर दिनांक 09.00.2019 के डीरा 1103/2019/20-दो अटल नगर दिनांक 09.032019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनात्तव छत्तीसगढ़ हस्तावेजों के सत्यापन उपरांत संभागीय थयन समिति द्वारा बैठक दिनांक 03.02.2022 में दिये गये अनुमोदन क्रा/एरा.2/शि.मती/Teacher (Physical Education) Cader-T/(t)//2020/7463 ः छनीसगढ # अं na में अंकित जाता में पदस्थ किया जाता है :-

	Secondary School DUMARIYA, BLOCK: SURAJPUR,	STREET: 10/77 CITY/VIIIAge - BISHBAMPUR COLONY, TARSIL-SURAJPUR, DIST SURAJPUR,	GEN	ROHIT SINGH RAWAT, FATHER - BALWANT SINGH RAWAT	35031011
		4	of .		
at d	पदांकित शाला का नाम	पता	작전	अन्याची का नाम एव पिता/पति का नाम	संख न

उपरोक्त नियुक्ति निन्नांकित शर्ता के अधीन होगी :--

- नियुक्त जिलक 22 फरक्सी 2022 तक पदाकित शाला में कार्य भार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमंत्र निरस्त माना जायेगा।
- कर पदाकित शाला में कार्य भार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक को ही नियुक्त शिक्षक विकास खण्ड शिक्षा अभिकारी कार्यालय में दरलांदेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्रापा वास्तविक रूप से कार्य भार ग्रहण बाना जायेगा।
- छ.ग.शासन वित विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक अवधि में निम्नानुसार स्टाबपेन्ड देव क्षेगा:-28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयमित ज्ञासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा

प्रथमधर्ष- जल पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत तृतीय वर्ष- उस पद के वंतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत् द्वितीय वर्ष- उस पर के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तक बढाई जा सकेगी। सफलता पूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उधित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि ठा वर्ष होंने जिसक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की धरिवीक्षा पर तथा अस्धायी होगी। परिवीक्षा अवधि को परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विमान की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका सूबी मं जानिल होगे। (5) के अनुसार सेवा में शीकी मती से नव नियुक्त शिक्षक, ई (एल.की)/टी (एल.की) सवर्ग की वरिष्ठता

पालन किया जावेगा। की आयेगी तथा वरिस्तता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का नव नियुक्त डिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में नियारित

- प्रभाव से समाप्त की जावेगी। शासकीय शेवा हेतु अनहं/अनुपयुक्त तित्व करती हो तो बिना किसी तूबना के उसकी संवार तत्काल .यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्थापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो संबंधित अभ्यर्थी को प्रदान की जा रही है। अन्यर्थी यह शक्त पत्र देंगें कि जनके दिख्य कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम कप से
- प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। नियुक्त अन्यर्थी द्वारा की गयी धानकारी /प्रमाण पत्र एवं दरतावेज यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूधना के सेवा से पृथक किया जा सकेंगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड सडिता के
- नव नियुक्त जिलक की परिवीक्षा अवधि ,स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ ग, सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अधील) नियम 1968 के अंतर्गत शासित होगा।
- उपरोक्त नियुक्त शिक्षक भी संवाये किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक मांड का नोटिस देवार या उसके अवधि में से जितना अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा मत्ते का भुगतान करना होगा। अनुपरिष्यति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस एवज में एक माह का वेतन तथा मत्ते देकर समाप्त की जा सकंगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में यदि यह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति कं अनुपरिधत रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने
- व्यापन द्वारा जारी परीक्षा परिचान के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है। प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक मती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति
- 10. पदांकित ज्ञाला में कार्य भार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सल्यापित प्रति का एक शेंट जमा करना अनिवार्य होगा।
- संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष एक पर्दांकेत शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा उक्त अविधि ने नहीं होगा। स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी । इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य
- नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से सवा समाप्त कर दी जावंगी। फिटनेश प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा मे
- 13. उपरोक्त नियुक्ति आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याविका उच्च्यूपी.ती 3063/2020, 1081/3006/2020 , 29/2021, 4043/2021, 4472/591/592/593,594 वर्ष किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा चारित आदेश के अध्याधीन होगा। डब्न्यूपीएस 10511/2019 तथा 08/2020 तथा किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर
- 14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत "अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने कं पश्चात् ही नवपदस्य संख्या में कार्य भार ग्रहण करेगे।"

(भी-रवका) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण किंद्रा सरगुजा ,अध्विकापुर (छ.ग.) पु.क्र / स्था.2 / शि.भर्ती / Teacher (Physical Education), Cader-T / (1) / 2020 / 7464

अम्बिकापुर दिनांक 07 फरवरी 2022

प्रतिलिपि-

 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग , मंत्रालय महानदी भवन , अटल नगर को सादर सूचनार्थं।

2. प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन , अटल नगर की ओर सादर

सूचनार्थं।

आयुक्त, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

6. संचालक. कोष, लेखा एवं पेंशन , इन्द्रावती भवन ,अटल नगर को सूचनार्थं।

समस्त कलेक्टर, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा संभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. प्राचार्य डाईट, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।

11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग को सादर सूचनार्थ।

12. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी , सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमित प्रदान करें तािक चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो।

13. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. / हाईस्कूल , सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही

पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. समस्त प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला , सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15. संबंधित श्री / श्रीमती / कुमारी ROHIT SINGH RAWAT , STREET- 1C/77 , CITY/Village- BISHRAMPUR COLONY, TEHSIL- SURAJPUR, DISTT.-SURAJPUR, CHATTISGARH को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

16.कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

संयुक्त स्वालक लोक शिक्षण शिक्षा सरगुजा ,अम्बिकापुर (छ.ग.) Mongolpuri, Block D GBSSS-1412130
Directorate of Education, Delhi
(Govt. of NCT of Delhi)
Joining Order

Order No: F.NO.4/F.IV/RECT.PET(P.CADE210/14)/2018 Pt.F-1/944-955 Appointment Date: 01/09/2018

Mr./Ms. SANDEEP KUMAR GUPTA -20182025, has joined at Mongolpuri, Block D GBSSS-1412130, as PET on 01/09/2018.

MAHESH KUMAR VICE PRINCIPAL

Endorsement No.: F.NO.4/F.IV/RECT.PET(P.CADE210/14)/2018 Pt.P.1/0444-955

### Copy Forwarded to:-

- (1) Employees Concerned
  - (2)RD Concerned
  - (3)DD Concerned
  - (4)EO Concerned
  - (5)AO (Estt./GOC) Concerned
- (6)AAO Concerned Accounts Branch
- (7)PAO Concerned
- (8)Schools Concerned
- (9)Incharge (Computer Cell), Dte. of Education
- (10)Concerned Employee's Personal File
- (11)P.S. To DE, Dte. of Education
- (12)PS To Secretary Education
- (13) Guard File
- (14) Services Department
- (15) Concerned Department

MAHESH KUMAR VICE PRINCIPAL

### कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

### ९० आदेश ०८

अम्बिकापुर दिनांक 10/12/2021

क / स्था.2 / शि.भर्ती /(E) Teacher (Physical Education) / (1) / 2020 / 6203 : : छत्तीसगढ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ,महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 1103/2019/20-दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक /स्था/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एक 12-22/2020/20-दो नवा रायपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक- 21-Nov-19 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत Teacher (Physical Education) के पद पर आपके द्वारा कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 03 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है।

रोल नं./अभ्यार्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/वर्ग	पता	पदाकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
44 11.15 4.1	2	3	4
13091027 SANJU THAKUR, FATHER - VIRENDRA SINGH CAT GEN	H.NO E-381, STREET- KAILASH VIHAR, CITY- HTPS COLONY, POST- JAMNIPALI, TEHSIL- KATGORHA, DIST KORBA, (CHHATTISGARH)	NAME OF SCHOOL- Higher Secondary School RANAI, BLOCK-BAIKUNTHPUR, DISTT KOREA	UR_E X

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :-

 नियुक्त शिक्षक 28 दिसम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा। नियुक्त शिक्षक दिनांक 28 दिसम्बर 2021 के पूर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्राप्त कर पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्य भार ग्रहण माना जायेगा।

 छ.ग.शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपैन्ड देय होगा:-

प्रथम वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत तृतीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत्

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपैण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढाई जा सकेगी।

 छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नव नियुक्त शिक्षक, ई (एल.बी.) / टी (एल.बी.) सवर्ग की विष्ठता सूची में शामिल होगें।

नव नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता संभागीय अंतिम चयन सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया

जावेगा।

4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चिरत्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। यदि पुलिस द्वारा चिरत्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अन्हं/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6. नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी /प्रमाण पत्र एंव दस्तावेज यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के

प्रायधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

 नव नियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अवधि ,स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगा।

8. उपरोक्त नियुक्त शिक्षक की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एव जमें एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमित के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थित की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितना अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति

व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई हैं।

 पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

सत्यापित प्रांत का एक सट जमा करना जानवाय हाना। 11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा उक्त अविधे में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी । इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेत् आवेदन स्वीकार्य

नदी होगा

12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा

में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

13. उपरोक्त नियुक्ति आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका WP(S) 1091/2020, WP(S) 3005/2021,WPPIL 29/2021, WP(S) 3036/2020, WP(C) 591/592/593/594 वर्ष 2012, WP(S) 2502/2021, WP(S) 2507/2021, WP(S) 2536/2021, WP(S) 3781/2021, WP(S) 1991/2021, एवं WP(S) 2331/2021 तथा किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगा।

14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत "अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र / कार्य मुक्त होने के

पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेंगें।

(बी:एक्का) संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शिक्षा सरगुजा ,अम्बिकापुर (छ.ग.)

### पृ.क / स्था.2 / शि.भर्ती / (E) Teacher (Physical Education) / (1) / 2020 / 6204 अम्बिकापुर दिनांक 10 / 12 / 2021

### पतिलिपि-

 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।

2. प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन , अटल नगर की ओर सादर

सूचनार्थ।

ओयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।

महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन , इन्द्रावती भवन ,अटल नगर को सूचनार्थ।

समस्त कलेक्टर, सरगुजा संभाग, की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत . सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा संभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास , सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।

11. प्राचार्य डाईट, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।

12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।

13. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी , सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमित प्रदान करें तािक चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो । चयनित शिक्षक के पदािकत संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराते हुए अभ्यर्थी को मूलतः संभागीय कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें ।

14. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. / हाईस्कूल, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 14. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. / हाईस्कूल, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् संबंधित पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। 15. समस्त प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला , सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16. संबंधित श्री / श्रीमती / कुमारी-SANJU THAKUR, H.NO- ,STREET- KAILASH VIHAR, CITY- HTPS COLONY, POST- JAMNIPALI, TEHSIL- KATGORHA, DISTT.-KORBA, CHHATTISGARH को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

17.कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शिक्षा सरगुजा ,अम्बिकपुर (छ.ग.)

### नवोदय विद्यालय समिति

क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) टैम्पल रोड, बारिक प्वाइंट लड़मेरे, शिलांग – 793001



### NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

REGIONAL OFFICE, SHILLONG
Ministry of Education, Govt. of India
(Deptt. of School Education & Literacy)
Temple Road, Barik Point
Lachumiore, Shillong-793001

E-mail: dcnvsroshillong@gmail.com, Website: https://navodaya.gov.in/nvs/ro/Shillong/en/home/index.html
Phone: 0364 - 2500331, Fax: 0364 - 2500335

F.No. PERS.2-7/2020-21/NVS[SHR]/Estt.I/ 285

Dated:1610.2021

Regd. Post/Email

To.

Mr./Ms.: Sita Devi C/O Vidya Dhar

Address: Hilauli, P.O. Hilauli, Purwa District:- Unnao Uttar Pradesh-209821

Email Id: sita32411@gmail.com Contact Number: 8765143007

Category: OBC

Subject: Appointment to the post of Physical Education Teacher-Female on direct recruitment basis under Recruitment Drive - July-2019

(Selection Category-OBC)-regarding.

Sir/Madam,

With reference to your candidature for the post of **Physical Education Teacher-Female**, you are hereby offered a post of **Physical Education Teacher-Female**, on temporary basis in NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS) on the following terms and conditions:-

- The scale of Pay attached to the post of Physical Education Teacher-Female is Level 7 (Rs.44900-142400) in pay matrix of 7th CPC. Your initial pay in this scale will be fixed as per Govt. of India Rules. You will also be eligible for the usual allowances admissible under the rules and orders of the organization in force from time to time.
- You will be initially on probation for a period of two years from the date of appointment extendable at the discretion of the Competent Authority. You will also have to undergo such training programme and other courses, as Samiti may prescribe, during the period of your probation. Successful completion of your probation is subject to the successful completion of aforesaid training programme/courses. Failure to complete the period of probation to the satisfaction of the Competent Authority or being found unsuitable for the post during probation period will render you liable to be discharged from service anytime without any notice and assigning any reasons thereto.
- 3. Your appointment will be subject to your being medically found fit by the Civil Surgeon / CMO of the District for appointment to the aforesaid post. This offer of appointment will be automatically treated as cancelled, if you are not found medically fit. You are, therefore, required to produce your medical



### certificate of fitness from the CMO at the time of joining. Medical certificate from any other authority will not be accepted.

- 4. This appointment is subject to satisfactory report on verification of your character and antecedents by the District Magistrate of the district you belong to. In case of any adverse report, your service will be terminated immediately.
- On appointment, you will be required to take an oath of allegiance to the constitution of India and make a solemn affirmation to that effect in the enclosed form.
- 6. The appointment will be further subject to the submission of a marital declaration in the form enclosed and in the event of your having more than one spouse living, the appointment will be subject to your being exempted from the enforcement of a requirement in this regard.
- 7. Jawahar Navodaya Vidyalayas being fully residential institutions, the teachers are required to stay in the Vidyalaya campus. In addition to normal teaching duties, the teachers are required to perform additional responsibilities attached with residential system like House Mastership, remedial and supervisory studies, organization of co-curricular activities, escorting of students on migration and in general looking after students' welfare. During the period of probation your performance in all these areas would also be assessed in addition to teaching ability to determine your suitability for the job.
- 8. There will be zero Tolerance Policy in so far as sexual abuse of students by employees is concerned. Any violation of this policy shall be dealt with in the strictest possible manner. Apart from it, you will maintain a vigilant outlook and convey your apprehension or knowledge of sexual abuse of any student, if any, by anybody to the appropriate authority in the NVS at the earliest. You will be liable to sign a document describing the policies and procedures of the school to demonstrate understanding and agreement regarding your Code of Conduct as a teacher at the time of joining.
- You will not be entitled for any travelling allowances for joining the place of your posting.
- 10. If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks or more at the time of acceptance of appointment as a result of medical test, she will be declared temporarily unfit; the offer would be treated as withdrawn for the present and would be kept in abeyance until her confinement is over. She would be medically re-examined and if declared fit six weeks after the date of delivery, her appointment would be renewed subject to production of medical fitness certificate from CMO. She should indicate the expected date of her delivery. In case the candidate fails to comply with these instructions, her candidature would not be considered and no further correspondence would be entertained in this regard from her. On production of medical fitness certificate, she would be appointed to the same post.
- You shall declare your home town within a period of six months of your joining the duty in Navodaya Vidyalaya Samiti.
- NVS prima facie follows Govt. of India rules in vogue mutatis mutandis on service matters.
- 13. The appointment carries the liability to serve in any part of India.



- Other conditions of the service will be governed by the relevant rules and orders in force from time to time in the Samiti.
- 15. You shall have to produce the following certificates in original along-with attested copies thereof to the Principal of the Vidyalaya concerned at the time of joining:-
  - Degree / Diploma Certificate of Educational qualification.
  - Secondary School / SSL Certificate issued by the Board indicating your date of birth.
  - c. Memorandum of marks of Graduation Degree / Post of Graduation Degree.
  - Discharge Certificates/relieving order from previous employer, if any.
  - Scheduled caste/Scheduled Tribe Certificate/OBC/EWS Certificate if applicable (in original) for Verification.

OBC candidates must submit requisite certificate in the revised prescribed format enclosed herewith in accordance with the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public grievances & Pensions, Department of Personnel & Training OM No. 36036/2/2013-Estt.(Res.) Dated 30.05.2014 from the District Magistrate/ Deputy Commissioner clearly indicating there in the Resolution No. and date of Ministry of Social Justice & Empowerment by which the caste/ community of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate does not belong to the persons/sections (creamy layer) mentioned in column 3 of the schedule to Govt. of India. Non-submission of OBC certificate in the aforesaid manner shall be treated as automatic withdrawal of offer of appointment.

- f. EWS certificate, if applicable. EWS candidate must submit the requisite certificate in prescribed format.
- g. Medical certificate i.r.o. Physically Handicapped (OH.HH, VH) as per the Govt. of India orders.
- h. Attestation form in triplicate duly filled and attested.
- Details of family.
- Family Dependency Declaration in the prescribed format
- k. Any other certificate (like experience, participation in National Level sports etc.) in original in support of entry made by you in your application.
- 16. If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to be removed from services besides such other action as Samiti may deem necessary.
- Candidates should submit valid Id proof (Aadhar Card/Driving License / PAN Card, etc.)
- 18. No request for change of place of posting will be entertained under any circumstances. If any such request is made, it will be presumed that he/she is



not interested in joining and offer of appointment shall stand withdrawn automatically.

- 19. The candidates must scrupulously follow the instructions & guidelines being issued by Central/ State/Ministry of MHA (Ministry of Home affairs)/District Administration with regard to lockdown and Corona Pandemic situation.
- 20. On your joining in NVS, you will be mandatorily covered by the New Pension Scheme. However, if you are already an NVS employee then your case will be covered by the existing NVS policies/instructions in this regard.
- 21. You shall have to complete one mandatory tenure in the North East Region.

In case you accept the offer on the terms and conditions contained in this letter, you should report for joining to the Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Vill Alamganj Part IX, PO Alamganj, Distt. Dhubri, Assam-783339 within 15 days from the date of issue of this offer of appointment. Therefore, you are directed to come well prepared with all the aforementioned documents/certificates, etc. failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled. Your joining, however, will be subject to production of medical fitness certificate from CMO. No extension will be granted in joining time under any circumstances and no further correspondence in this regard will be entertained.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(K. V. Suresh) Deputy Commissioner I/c

Copy to:

- The Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Vill Alamganj Part IX, PO Alamganj, Distt. Dhubri, Assam-783339 for information and with a request to ensure the following.
- 2. Furnish a copy of joining report of the said candidate on his/her joining in Vidyalaya immediately on email: <a href="mailto:nvsroadmn@gmail.com">nvsroadmn@gmail.com</a>. However, before allowing joining the said candidate, it will be the sole & personal responsibility of the Principal for verification of the eligibility of the candidate as per Recruitment Rules dated 14.11.2018 and advertisement notification dated 6th -12th July, 2019. (Copy enclosed)
- 3. The cutoff date to examine the documents as mentioned in Para 13 of the letter i.e. age, educational qualification, percentage of marks, subject combination, experience, SC/ST/OBC certificate and other eligibility criteria for the said post is 09.08.2019 as specified in the advertisement dated 6th -12th July,2019. If there is any discrepancy, the candidate may not be allowed to join and the case may be referred back to RO for further action.
- 4. The Police verification of the candidate has to be done within one month of his/her joining by sending the original copy of Attestation form to the concerned District



Superintendent of Police/District magistrate of the District concerned. One copy of Attestation Form may be retained in Vidyalaya duly filled in and signed.

- It may also be ensured that at the time of joining the following certificates/document/nominations/ etc. is obtained from the candidate duly filled in and signed.
  - a. Certificates of educational qualification.
  - b. Format of Acceptance of Offer of appointment.
  - c. Attestation Form (in duplicate).
  - d. Home Town Declaration.
  - e. Medical Certificate duly signed by Civil Surgeon/CMO of District Hospital in prescribed form along with declaration of the candidate.
  - f. Declaration of Marital Status.
  - g. Caste Certificate from concerned State Authority, if applicable.
  - h. Oath of Allegiance to the Constitution.
  - i. Details of Family particulars.
  - Details of dependent family members.
  - k. Nomination Form of GISLIS.
  - 1. NPS Registration Form.
  - m.Undertaking for Protection of Children from Sexual Offence Act 2012
  - n. Relieving Order from the concerned authority in case of Govt. Semi Govt. Autonomous/Public undertaking employees.
  - o. Certificate of EWS (Economically Weaker Sections). EWS Certificate issued after cutoff date of recruitment drive July, 2019 (i.e 09-08-2019) but if the certificate had been marked as "Valid for the year 2019 or 2019-20", the same may be accepted at as valid certificate.
  - p. Principal should obtained an undertaking/affidavit from the candidate before allowing him/her to join that no FIR or any Court case (criminal/civil) is registered/pending against him/her. If statement/information furnished by him/her proves to be false or found to have willfully suppressed any material information, he/she will be liable to be removed from the services besides such other action as Samiti may deem fit.
  - q. Candidates marked "Provisional Eligible" on account of non-submission of requisite degree are to be treated as eligible after obtaining an undertaking from the candidate concerned for submission of degree certificate as & when received, but it should be ensured that mark sheet(s) of requisite degree course(s) are available in the folder of the candidate concerned.

The personal folder of the candidate is enclosed herewith.

Deputy Commissioner I/c



### केन्टीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

मानव संसाधन विकाश मंत्रालय, भारत सरकार/Min. of HRD, Govi of India) संभागीय कार्यालय, कोलकाता/REGIONAL OFFICE, KOLKATA

ई. बी. ब्लॉक, सैक्टर-1, लाबोनी, साल्ट लाके,

EB Block, Sector-I, Laboni, Salt Lake, कोलकाता - 700064/Kolkata -700064

2 (033) 23376998 (DC) /23219490 (ACs) /23596099 (AO/FO)

E-mail:kvskolkata@yahoo.co.in/ Web:www.kvsrokolkata.org.in

25053/TGT/2019-KVS (Kol)/Admn/ 31712

Date :- 05.03.2019 SPEED POST

### MEMORANDUM

### SUB: - OFFER OF APPOINTMENT TO THE POST OF TGT (P&HE)

With reference to his/her application, Mr/Mrs/Ms. SUNIL KUMAR is hereby informed that he/she has been selected for appointment against a temporary post of TGT (P&HE) in the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the pay matrix(/level 07(Seven) (7th CPC) and posted at the Kendriya Vidyalaya Durbin, Kalimpong, Distt.: Darjeeling - 734301, He/she will draw West Bengal [Ph No 03552-283256 / FAX 03552-283648] in Kolkata Region under East Zone. allowances and other benefits as admissible to the employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan. This offer of appointment is subject to the candidate producing Medical certificate of fitness issued by a District Medical officer or a medical officer of equivalent status.

- If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of the appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks standing or more as a result of medical test at the time of acceptance of appointment, it will be opened to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she desires so. Furthermore, the affected woman candidate, in such a situation, who expresses her willingness to join, may be asked to produce a certificate of fitness from Chief Medical Officer (CMO) of Govt. Hospital that she is fit to carry out the assigned work in her present state.
  - No TA/DA will be admissible for first joining the Sangathan as TGT (P&HE)
- He/she will be on probation for a period of 02 years which may be extended. Upon successful completion of probation, he/she will be confirmed as per the rules of Kendriya Vidyalaya Sangathan.
- During the probation and thereafter, until he/she is confirmed, the services of appointee are terminable. The appointing authority reserves the right to terminate the services of the appointee at any point of time during the probation period without assigning any reason thereof.
- Other terms and conditions of service governing the appointment are as laid down in the Education Code for Kendriya Vidyalayas amended from time to time. A Welfare Scheme namely Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees Welfare Scheme has been introduced from 01.4.2002. Joining the above scheme is compulsory.
- He/she will be eligible for the new Restructured Defined Contribution Pension Scheme only as circulated by KVS (HQ) vide circular No.2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 08/12.03.2004 and F 2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 24.12.2004.
- The appointment is provisional and is subject to the certificate(s) of Scheduled Caste/Scheduled Tribe etc. Other Backward Classes/Physically Handicapped/ Blind being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claim to SC/ ST/ OBC/PH/Blind as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.
- He/ she will fill up the character and antecedents verification form along with recent photograph and will hand over the same to the Principal concerned.
- In case of any dispute or claim against the Kendriya Vidyalaya Sangathan, in respect of service or any contract arising out of or flowing from this offer of appointment, the Courts of Delhi alone shall have jurisdiction.
- As per the modified eligibility criteria laid down by the NCTE for those teachers who have been appointed to teach classes from I to V on the basis of B.Ed degree shall mandatorily undergo a six months Bridge Course in elementary education recognized by the NCTE within two years of such appointment as Primary Teacher.

-2-

- 12. If he/she accepts the offer on the terms and conditions as mentioned in this offer letter, he/she should join the Kendriya Vidyalaya mentioned overleaf on or before 26.03.2019. Necessary proforms for the purpose are enclosed which should be submitted to the Principal concerned, after getting the same duly completed at the time of joining. If the offer is not accepted or the appointee does not report for duty at the above named Vidyalaya by 26.03.2019 this offer of appointment will automatically stand cancelled and no further correspondence will be entertained from him/ her in this regard.
- 13. Suppression of any information will be considered a major offence for which the punishment may extend to dismissal from the services.
- 14. He/she will not request for transfer within three years of initial appointment or as per the transfer guidelines of Kendriya Vidyalaya Sangathan.
- 15. He/she has been allotted East Zone.
- 16. For subsequent promotion, the incumbent will have to acquire academic and professional degree from recognized University, as per application rules and regulations.
- 17. If he/she accepts the offer of appointment then he/she has to execute a Service Agreement cum Surety Bond in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan on the non-judicial stamp paper of the value as per State Rules to this effect that he/she has agreed to serve the KVS for a period of minimum two years from the date of joining which includes the period of probation including extended period if any. He/she is agreed to pay Rs. 2,00,000 (Rupees Two lac only) to the Kendriya Vidyalaya Sangathan if he/she commits breach of this agreement. This bond shall be executed at the time of joining of services of KVS and shall be submitted to the KVS in the standard format (Standard Bond format is enclosed).
- 18. The following documents are to be submitted mandatorily to the KVS at the time of joining. The formats are enclosed alongwith this letter.
  - I. Service Agreement cum guarantee bond on non-judicial stamp paper of the value as per State rules in original.

II. Character and Antecedents verification form along with 03 recent photographs.

III. Medical fitness certificate issued by the District Medical Officer or a medical officer of equivalent status.

IV. Acceptance of appointment offer.

V. Oath of allegiance.

VI. Statement of movable and immovable properties and liabilities.

DEPUTY COMMISSIONER

Encl. As above.

SUNIL KUMAR V.P.O - Bharauli, PS - Narhi, Distt. Balia, UP, PIN - 277501. Copy forwarded to :-

2. The Principal, Kendriya Vidyalaya Durbin, Kalimpong, Distt.: Darjeeling - 734301, West Bengal [Ph No 03552-283256 / FAX 03552-283648]. The date of joining of the candidate may be intimated to the Regional Office concerned immediately after the candidate reports for duty. In case he/she does not join by the stipulated date, this office should be informed accordingly on e-mail. This appointment is further subject to production of certificates etc., as per Article 46 of Education Code for Kendriya Vidyalayas. The candidate be allowed to join his/ her duties only after verification of the eligibility and educational qualification etc from their original certificates, and on submission of requisite forms/ statements duly completed in all respects. Those appointed under SC/ST/OBC/PH/Blind quota may be allowed to join duties only on production of original certificate mentioned in para 8 of the order. Principals are also requested to check the original certificates in respect of the qualifications of the appointee employees and satisfy themselves that the appointee possesses requisite qualification for the post he/ she is appointed to.

DEPUTY COMMISSIONER

(Hindi version overleaf, However in case of any discrepancy in translation, the English version shall prevail)



### CG02000737 21J (... 📵











E-certificate No.: 200/21/39415





### NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

N'TA Ref. No: 210510746982

Rell No: 0002000737

Certified that SSWAPNIL IYENGAR



San Sangalor of ARADHANA IYENGAR

S K SHESHADRIVASAN IYENGAR

has qualified

the UGC-NET for eligibility for Assistant Professor hold on 21-11-2021

for December 2020 and June 2021 (morged session) in the subject

Physical Relations

As per information provided by the candidate, he/she had completed in precious proving his/her Muster's degree as equivalent communition in the related subject at the time of applying for UGC-NET

The date of eligibility for Assistant Professor in the date of declaration of UGC-NET would, , or the date of completion of Waster's degree or equivalent 19-02-2022 examination with required preventage of musts within two years from the date of declaration of UGC-NET would, in by 18-02-2024 , inhickness in later

This is an electronic certificate only, its authenticity and enteging in which the candidate had appeared should be verified from National Tenting Agency (NTA) by the institution/appointing authority. This electronic certificate can also be verified by scanning the 1977 Took

The subdite of this electronic vertificate is forever

Charter of Source 12-03-2022

Jalarashan

Note: NTX has record the electronic partificate on the basis of information provided by the samilifale. form. The approximal authority should worsh the original records/certificates of the candidate while considering mental for appointment, as the ATA will not be desire for one false efformation growted by the candidate. The ATA is only responsible for the result which can be suffled from the rep must NAVE the minimum anglettly conditions as tald down in the notification for USC NET



	DETAILS
Exam :	Result of Chhattisgarh State Eligibility Test (SET) 2019
SUBJECT:	PHYSICAL EDUCATION
ROLL NO. :	133468074
REGISTRATION ID:	SET196807419099
CANDIDATE NAME :	SWARNA TIWARI
GENDER:	F
RELATIVE'S NAME :	ANIL TIWARI
CATEGORY	GEN
CLASS:	
DATE OF BIRTH	08/07/1994
CG Domicile	YES
	MARKS AND STATUS
Paper-I (Out of 100 Marks) :	45.833
Paper-II (Out of 200 Marks) :	119.588
Total Marks (Out of 300 Marks) :	165.421

Print

Eligible for Assistant Professor

55.14

Percentage (%) :

Status:

संस्थापित : 1973

**☎** 0522-4952974



### लीचरण पीं० जीं० काले

हरवोई रोड, चौक, लखनऊ - 226003

(उ०प्र० सरकार द्वारा अनुदानित एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त)

E-mail: (i) kalicharanpgcollegelko@gmail.com (ii) principal@kcpgclko.in Website: www.kcpaclko.in

чліт : KCPGC 560-66 2019-20

सेवा में.

८ श्री मुकेश कुमार मिश्रा, पुत्र श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा,

ग्राम – महकनी (MAHAKANI),

पो0 - कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश

विषय:- असिस्टेन्ट प्रोफेंसर, शारीरिक शिक्षा के पद हेतु नियुक्ति पत्र।

महोदय.

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक : डिग्री अर्थ–1 (आयोग) / 687 / 2019—20 दिनांक 28.02.2020 जो महाविद्यालय कार्यालय को 21 / 03 / 2020 को प्राप्त हुआ के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आपकी नियुक्ति विज्ञापन सं0- 47 के अंतर्गत कालीचरण पी0जी0 कालेज, लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा के पद पर वेतनक्रम रू. 15600—39100 ग्रेडपे 6000 के सापेक्ष 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-10 रू. 57700 में की गयी है। योगदान तिथि से 01 वर्ष की अवधि परिवीक्षाकाल की रहेगी एवं इस अवधि की सेवा सन्तोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप ही प्रबन्ध समिति द्वारा स्थाईकरण किया जायेगा। आपको समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अन्य लाम एवं भत्ते प्रदान किये जायेंगे।

मुझे यह भी सूचित करना है कि आपको परिवीक्षा अवधि में किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा अपका वेतन भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। आपको समय-समय पर

महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रबन्धक द्वारा निर्गत आदेश का पालन करना होगा।

आपकी नियुक्ति सेवा के सम्बंध में समय-समय पर जारी किये गये शिक्षा निदेशक / शासकीय

नियमों के अधीन होगी तथा निर्धारित "कोड आफ कान्डक्ट" आपको पूर्णतया मान्य होगा।

पत्र प्राप्ति के 21 दिन के अन्दर महाविद्यालय आकर अपने समस्त प्रमाण पत्रों के मूल व हस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर योगदान की कार्यवाही करें। यदि आपने उक्त अवधि में अपना योगदान नहीं किया तो यह माना जायेगा कि आप इस महाविद्यालय में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं।

(इं0 वीं0के0 मिश्र)

Manager प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित Kalicharan P.G. College Lucknow

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ०प्र०, प्रयागराज

2. सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्राचार्य, कालीचरण पी0जी0 कालेज, लखनऊ

प्रबंधक

### / / कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बेरला / / जिला- बेमेतरा (छ.ग.)

E-mail :- beo.berala@gmail.com

प्रति

/स्था. 02/ शिक्षक/सीधी भर्ती /2021/

वेरला दिनांक-

प्राचार्य शा. कन्या उ.मा.वि. बेरला वि.ख. - बेरला, जिला बेमेतरा

नव नियुक्त व्यायाम शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने बाबत्।

संदर्भ :- कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा का ज्ञाप क्र./5161/स्था02/शिक्षक/सीधी भर्ती / 2021-22 बेमेतरा, दिनांक 02.09.2021

उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार लेख है कि कु. वन्दना लाउन्ने, D/O - सालिक राम लाउन्ने, का शिक्षक ई-संवर्ग व्यायाम शिक्षक के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शासकीय कन्या उ.मा.वि. बेरला, वि.ख. बेरला में होने के फलस्वरूप संबंधित ने अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में आज दिनांक 02.09.2021 को दी है।

उपस्थिति उपरांत पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 02.09.2021 को आपके संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जा रहा है। आप संबंधित को कार्यभार ग्रहण करावें एवं पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

पू. क. / 1132 / स्था. 02 / शिक्षक / सीधी भर्ती / 2021 /

प्रतिलिपि:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2 कु, वन्दना लाउत्रे को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) बेरला दिनांक-22.00 232,

बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा

स्माग-दुर्ग फिला पंचायन के सामोजीई सेड दुर्ग भग 1788-2962296 E-mill: jddurgi&@gmail.com

Phone: 0788-2962296

1727 - grt, tonte 24/08/2021

/ / आदेश/ क्रमांक/स्था:03/शिक्षक/सीवी मती/ड्रे संपत्/ 2021/

के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीधा अवृधि पर शिक्षक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर गियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है— 21,11,2019 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत शिक्षक ई संवर्ग, विषय व्यायाम शिक्षक ज़ारी परीक्षा परिणाम दिनांक के पत्र क्रमांक/स्था./विज्ञापन/सीधी भरी/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के वेज्ञापन जारी किया गया था । विज्ञापित पदौ हेतु छ.न. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 1103/2019/20—दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुकम में लोक शिक्षण संचालमालय

संवर्ग	9	UR.	4
पदांकित शाला का गाम	5	भा समा भारता कन्या	बेरला, जिला– बेनेतरा
पता	1	4	KALI BADI, BUDHATALAB, RAIPUR,POST. RAIPUR, PIN CODE- 492001, DISTRICT- Raipur, CHHATTISGARH
जाति		:03	SC
अन्यथी का नाम एवं दिता/पति का	नाम	2	VANDANA LAUTRE/SALIK RAM LAUTRE
रोल मं.	September 1	7	25151275

# उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शतों के अधीन होगी :-

चयानित शिक्षक 15 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों का मिलान करायेंगे, तदुउपरांत ही पदाकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनाक को ही वास्तिविक चयनित शिक्षक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत संबंधित दिकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों का मिलान करायेंगे, तदुउपरांत ही पदांकित

कर सासन, वित्त विनाग द्वारा जारी वित्त निरंश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अविभूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी मती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की

- उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत न्यूनतम का 70 प्रतिशत परिवीक्षा अवधि मे निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा-- उस पद के वेतनमान के प्रथम वर्ष

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य मत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवेक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवेक्षा अवधि को दितीय वर्ष तृतीय वर्ष

स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की डाप हे अनुसार सेवा में सीधी मती से नवनियुक्त शिक्षक ई (एल.बी.)/टी (एल.बी.) संबंग की सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप कारणों के आधार पर परिवीक्षा अविध 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। छ.ग. शासन

वरिष्ठता सूची में शामिल होगी। कंडिका (5) के

Basic 22307





Employee Code 23200190070

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVERNENT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, BERLA DISTRICT - BEMETARA CHHATTI

RNOPAL GOVERNENT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL BERLA DISTRICT P A Y S L I P

Bill Unit 6

DDO Code/Erro ID: Name Designation: 2320019 / 111 VANDANA LAUTRE SPORTS TEACHER E. Morth: BankA/CNo. Emp.Code: 09/2021 32539489387 23200190070 BIFGross/NetAmount: PRAN: BIFNo: & Dt:

GPF/DP

-Drawals - Deductions/Recoveries -

West 2013 HP 5

D.A: 3791 HRA:945

Other All 600

MediAI:200

GrossSal 27838 TotalDed 2909 NetSal 24929

Cut Here Cut Here Cut Here





(तीस विभाग्य का एक स्टाटल शस्थान, हास्त्र विकास्त खारका चिमाए) भारत सरकार े

क्षेत्रीय कार्यालय

२०३५, गर २० ८२ अलाहासूरी, भौताल (गप्र) बट्याळब



### NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

(An Autonomous Organization under Ministry of Education, Oxper of School Education and Literacy Gavt. of 🔭 ha

Regional discuss

Dated : 🛵 'A0,2021 BY REGISTERED POST

Roll No.: 19218218891

A 135, Gate No OZ, Alkapuro, St., 2., 1 1 1/2/3662024

Phone : 0755-2480367, 2480343, 2489946 email <u>invariable persidential co</u>m and <u>invariable origination</u>

No. F. 26.1/2021/NVS(BPL)/Pers/Recit./ Z JS

To.

Ms. Vasudha Aditya . D/o. Sh. P.K.Adivva

Kiran-Kunj, Raman Nagar, Ward No. 98

Janjgir-Champa(C.G.) E-mail : <u>vasodhaaditv</u>a29@gmail.com

Subject: Appointment to the post of PET(Female), on direct recruit  $\cdots$  at dasis under RECRUITMENT DRIVE-JULY-2019 - REG.

Sir/Madam.

Consequent upon your qualifying the Computer Based Test (CBT) followed by interview and select lipublished on the Samiti's website. you are hereby offered a temporary post of PET (FEMALE) in Navodar [ Vidyalaya Samiti, on the following terms and conditions:

- 01 The Pay Band (Pre-revised) attached to the post is Pay Scale in Level 7 (Rs. 44900-142400/4) of c. Pay Matrix as per 7th Pay Commission. Your initial pay in this scale will be fixed in according. with the normal rules and you will also, in addition, be eligible for the usual allowances admiss. under the rules and orders of the organization in force from time to time.
- 02. You will be initially on probation for a period of two years from the date of our joining which the further be extended at the discretion of the competent authority. You will > have to undergo such training programme and other courses, as Samiti may prescribe, during the period of you probation, Successful completion of your probation is subject to the successful completion of aforesaid training programme/courses. Failure, to complete the period of probation to the satisfaction of the competers authority, will render you liable to discharge from services. Further during the period of probati # your service can be dispensed with by the Samiti without assigning any reasons. While on probation you will be required to give one month's notice of resignation in case you leave the Samiti.
- 03. Jawahar Navodaya Vidyalayas being fully residential institutions, the teachers are required to stay ij. the Vidyalaya compus. In addition to normal teaching duties, the teachers are required to perfor a additional responsibilities attached with residential system like House Mastership, remedial anil supervisory studies, organization of co-curricular activities, escorting of students on migration at  $-\gamma$ general looking after students welfare. During the period of probation you -orformance in all thesa areas would also be assessed in addition to teaching ability to determine your saitability for the job.  $\hat{q}$
- 04 There will be Zero Tolerance Policy in so far as sexual abuse of students by employees is concern-Any violation of this policy shall be dealt with in the strictest possible manner. Apart from it, you wigh maintain a vigilant outlook and convey your apprehension or knowledge of sexual abuse of a student, if any, by anybody to the appropriate authority in the NVS at the earliest. You will be habit to sign a document describing the policies and procedure of the school to demonstrate understanding and agreement regarding your Code of Conduct as a teacher at the time of joining.
- 05. You will not be entitled for any traveling allowances for joining the place of your posting.
- 06. Your appointment will be subject to your being medically found fit by the Civil Surgeon/CMO of 1 District for appointment to the aforesaid post. This offer of appointment will a sufformatically field of as cancelled if you are not found medically fit. You are, therefore, requested to produce your medical certificates of fitness from the CMO at the time of joining, Medical Certificate from any other authorities will not be accepted.

- 07 If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time acceptance of appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks or more at the time of acceptance of appointment as a result of medical test, she will be declared temporarily unfit, the off-second he treated as withdrawn for the present and would be kept in abeyonce until her confinement over. She would be medically re-examined and if declared fit six weeks after the date of delivery, appointment would be renewed subject to production of medical fitness enforced from CMO. She should indicate the expected date of her delivery. In case the candidate their to comply with the instructions her candidature would not be considered and no further correspondence would be entertained in this regard from her. On production of medical fitness certificate, she would appointed to the same post.
- On joining the post you will be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India an make a solemn affirmation to this effect in the enclosed form.
- Of the appointment will be further subject to the submission of a marital declaration in the fort enclosed and in the event of your having more than one spanse living, the appointment will subject to your being exempted from the enforcement of a requirement in this regard.
- 10 You shall declare your home town immediately on your joining the Samiti.
- 11 The appointment carries the liability to serve in any part of India.
- 12 Other conditions of service will be governed by the relevant rules and orders in force from time 5 time in the Samiti.
- 13 You shall have to produce the following certificates in original alongwith self-attested copies there to the Principal of the Vidyalaya concerned at the time of joining:
  - Degree / Diploma Certificate of Educational qualification.
  - Secondary School / SSL/Higher Secondary Certificate issued by the Board indicating your date of birth.
  - Memorandium of marks of three years of degree.
  - PG degree certificate and marksheet.
  - Discharge Certificates/relieving order from previous employer, ony.
  - Scheduled caste/Scheduled Tribe Certificate/OBC/EWS Certificate if applicable (in original) for verification.
  - GBC candidates must submit requisite certificate in the revised prescribed forms, enclosed herewith in accordance with the Govt, of India, Ministry of Personnel, Public grievances & Pensions, Department of Personnel & Training OM No. 36036/2/201. Estt.(Res.) Dated 30.05.2014 from the District Magistrate/Deputy Commissioner clea. Indicating therein the Resolution No. and date of Ministry of Social Justice & Empowerment by which the caste/community of the candidate has been included in Coentral list of OBCs and also the candidate does not belong to the persons/sectional (creamy layer). Non-sulmission of OBC certificate in the aforestid manner shall 1.8 treated as automatic withdrawal of offer of appointment.
  - h Medical certificate i.r.n. Physically Handicapped (OH, VH) as j.—the Govt. of India orders.
  - Attestation form in duplicate duly filled and attested.
  - Details of family,
  - Any other certificate (like experience, participation in National Level sports etc.) in original in support of entry made by you in your application.
- 14 One mandatory tenure in North East Region and/or at other hard/very hard station is compulsory.
- 15 JNV allotted on appointment is final and no request for change in place of posting will be entertained under any circumstances. If any such request is made by the candidate concerned, it will be presum a that he/she is not interest in joining to the offered post and offer of appointment shall stand withdraw automatically.

Snr

- 16 If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to be removed from services beside such other action as Samiti may deem necessary.
- 17 This appointment is subject to satisfactory report on verification of your character and antecedents between the District Magistrate of the district you belong. In case of any adverse report, your service will a terminated immediately.
- 18 As regards to movement from your present place to the place of po. g. movement may by undertaken by keeping in mind the prevailing instructions & guidelines being issued by Contre/State/Ministry of MHA with regard to lockdown and Corona Pandemic situation and the samp should be scrupulously followed:
- 19 Principal concerned should obtain an undertaking/affidavit from the condidates concerned bete allowing him/her to join that no FIR or any court case (Criminal/Crvit) is registered/Pending against him/her. If statement/information furnished by him/her proves to be false or found to have willfully suppressed any material information, he/she will be liable to be removed from the services beside, such other action as Samiti may deem fit

In case you accept the offer on the terms and conditions contained in this letter, you should communically your acceptance (through your employer, if any), so as to reach the undersigned within "days with a copy to "principal concerned and report to the Principal, Jawahar Navodaya Vidyala. District Panchaya RESOURCE CENTER, ITPAL, POST AND DISTT. "DISTT. BUAPUR [C. G.] - 494444, Phone No. 9437242733;797835495 before 6th November 2021 failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled. Note that extension will be granted in joining time under any circumstances and no forther correspondence to this regar, will be entertained.

Encl: As above.

Yours faithfully

[P.S.SARDAY]
Deputy Commission

Copy to:

Of The Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, DISTRICT PAN/ "AVAT RESOUR." CENTER, ITPAL, POST AND DISTT, "DISTT. BIJAPUR IC. G.] - 4. 444 - with the request to send the joining report of the said candidate / official within 7 days of his/her joining in Vidyalays. However, before allowing to join the said candidate, it will be the sole & personal responsibility of the Principal for verification of the eligibility of the candidate as per Recruitment Rules to examing the documents as mentioned in Pura 13 of the letter inc. age, educational qualification percentage in marks, subject combination, experience, SC/ST/OBC/FWS/PI certificate and other objective criterial for the said post. If there is any discrepancy, the candidate may not be allowed to join and the cash may be referred back to RO for further action. The original application of the candidate is enclosed.

02 The Deputy Commissioner (Pers.), NVS(HQ), NOIDA: - w.r.t. his letter No. 1-9/2019-NV, Estt.I/1GT(V.III)/MISC.(VOL.II).19779 dated 29.09.2021 - for favor of information.

03 PF of employee concerned.

Deputy Commissione,



### G G V Puja Di

2 minutes ago





कार्यालय संमागीय संयुक्त संयालक, लोक किलग, सरगुजा समाग, अधिकापुर (छतीसगढ) **10** संशोधित आदेशका

(श्रुटि सुधार)

affecting to 10./ 10./ 10.01

D/ONLY/Renffirst Teacher (Physical Education)/(1)/2022/2148 - Infirms aren right from them would record ours next three days of the street of the condition rendering rend with Property and condition of the first conditions. THE WE WE SHEET / HELL / NOTES / WITH A WITH / ALL - CITY WENT WAS A PROPERTY AND प्राप्त विकासन जाती तिनव त्या था। भागभावान वक्ष्म तिवा विनाम नामना, नामनी वाल नव प्रकार न कर ग्रांचाक एक 10-22/2000/20-वो नगा समुद्रा विभाग न्यत्राहरूका के अनुसन में विश्ववित पती हेतू थ र स्वापन प्रान्त कानी महीसा वरिनाम विनाम- 21-800-19 तमे प्रतिमात से सामन पर सामन प्रमानित से सामापा मुख्या Teacher (Physical Education) है भर पर बारड़े हारा कार्य भार दहन करने हैं दिनांक से अल्याची कर से आएमी अर्थम तक तीन को वी परिवेश्व कर्नीट वर कियक हुनीय केंद्री करती वेतानाप के बेतार मेट्रिका संस्ट (a के यह पर नियुक्त करते हुए काले नाम से अनुस्ट कीतम में 45 दें affilia minii 4 queu fein mini ê i

रोत नं / सम्बाधी कर नाम एक पिता / पति का माम / वर्ग	पता	फटबिस साल का भाग	क्षानित संदर्भ
YIMAL LARRA, BATHER - ALUEL LARRA	RANG PROPER MATURA. STREET CAPTURA. LETT BATTURA. POAT KAPTURA TERSE. DOLLERA. DIST. JASHUR. [CHORATTERGANO]	BAME OF SCHOOL- Higher Securitary Served KORKA GLOCK-OULDAINA DISTT - JASHPUR	ST

वपरोक्त नियुक्ति निम्तांकित कार्त वे अधीप होगी >-

 नियुक्त शिक्षक 20 विश्वमार 2021 तक पालीका बाला में आर्थ भार प्रथम करेंगे। निर्धारित विश्व तक कार्य बार प्रकृत न कार्न पर यह अस्ट्रेस स्वयंत दिशसा गाना आयेगा। निवृत्त विसाद दिलाक ३६ दिसान्बर 2021 में पूर्व लंगांका विकास बाज्य दिसा अधिकारी वार्यालय में दूसलोकों के विकास के बपनांत जनुमति आपा कर प्रशक्तित शाला में कार्य मार प्रवण कर नावेते। विद्यालय में कार्य भार प्रवण बारने के दिनाक को ही बालादिक कप से बार्य भार प्रस्थ भाग जायेगा।

अ.स.सासम विशा विसास हरत आधि जिल्ला निर्देश 21/2020 विसास 23.67.2020 एवं अधिसुक्ता विसास 20.07.2020 में अनुसार मोमी भंडी के वदों पर वर्धनित शासकीय सेटमी को छोन वर्ष की परिचेक्षा कारी में निम्तनुसार स्टावनेन देव शेगा-

प्रथम धर्म- वयमित यद के वेप्यनचन के न्यूनान का 70 प्रतिकार दिलीय वर्ष- समनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का का प्रतिकात वृतीय वर्ष- वयनित वद में वेतनमान के न्यूनतम वत ४० प्रतिशत्

परम्यु परिवीक्षा अवधि में स्टायदेण्ड को साम अन्य मने जानकीय संबद्ध की तना परन कोंने शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीम वर्ष की चरिनेक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवेशन लागीय को

Page1|3



### कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरसाबहार, जिला—जशपुर (छ0्ग0)

//आदेश//

क्रमांक /

/स्था./वि.ख.शि.अ./2021-22 फरसाबहार, दिनांक 15.12.2021

कार्यालय संभागीय सयुक्त संवालक, लोक शिक्षण सरगुजा संभाग, अन्विकापुर (छत्तीसगढ)के आदेश क्रमांक /स्था-02/ शिक्षक भर्ती(टी)व्यायाम शिक्षक/2020-21/6131 अम्बिकापुर दिनांक 10.11.2021 के अनुसार श्री विवेक साय पिता श्री आनंद साय को व्यायाम शिक्षक के पद पर शासकीय उ०मा०वि० मेंण्डरबहार विकास खण्ड फरसाबहार जिला जशपुर छ. ग. में पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा दिनांक 15.12.2021 को अपनी उपस्थिति कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

आज दिनांक 15/12/2021 अपरान्ह पूर्व श्री विवेक साय व्यायाम शिक्षक को शासकीय उ०मा०वि० मेंण्डरबहार विकास खण्ड फरसाबहार जिला जशपुर छ.ग. में कार्य करने के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी फरसाबहार जिला—जशपुर (छ०ग०) फरसाबहार, दिनांक 15.12.2021

पु०क्र० / १५५३ / स्था. / वि.ख.शि. / २१-२२

### प्रतिलिपि :--

 संमागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-जशपुर (छ०ग०) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

 प्राचार्य शासकीय उ०मा०वि०मेण्डरबहार विकास खण्ड फरसाबहार जिला जशपुर को सूचनार्थ्त।

4. क्रायालियीन लेखा शाखा को सूचनार्थ।

र्संबंधित श्री विवेक साय व्यायाम शिक्षक शासकीय उ०मा०वि० मेंण्डरबहार विकास खण्ड फरसाबहार जिला जशपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

> विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी \_फ्ररसाबहार जिला—जशपुर (छ०ग०)